

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 मई 2011—ज्येष्ठ 6, शक 1933

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 मई 2011

क्र. ई-5-575-आयएस-लीव-5-एक.—(1) इस विभाग के आदेश क्रमांक ई-5-497-आयएस-लीव-5-एक, दिनांक 7 मई, 2011 द्वारा श्री एस. पी. एस. परिहार, भाप्रसे (1986), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को दिनांक 23 से 31 मई 2011 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है तथा इस अवकाश अवधि के साथ दिनांक 21 एवं 22 मई 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी गई है.

(2) विभाग के उक्त आदेश दिनांक 7 मई, 2011 में आंशिक संशोधन करते हुए, श्री एस. पी. एस. परिहार की अवकाश अवधि में श्री आलोक श्रीवास्तव, भाप्रसे (1984), पर्यावरण आयुक्त तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग एवं प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन तथा प्रमुख सचिव, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, श्री परिहार की अवकाश अवधि तक प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का चालू प्रभार सौंपा जाता है.

(3) विभाग के उक्त आदेश दिनांक 7 मई, 2011 के अनुसार शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

क्र. ई-5-575-आयएस-लीव-5-एक(ए).—(1) श्री एस. एन. मिश्रा, भाप्रसे (1990), आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास,

मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को दिनांक 23 से 30 मई 2011 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश अवधि के साथ दिनांक 21 एवं 22 मई 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री एस. एन. मिश्रा की अवकाश अवधि में श्री विनोद चन्द्र सेमवाल, भाप्रसे (1985), वि. क. अ.-सह-आयुक्त उद्योग, मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम, मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम तथा मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, श्री एस. एन. मिश्रा की अवकाश अवधि तक आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास का चालू प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एस. एन. मिश्रा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री एस. एन. मिश्रा द्वारा आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री विनोद चन्द्र सेमवाल, आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश के चालू प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री एस. एन. मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. एन. मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 11 मई 2011

क्र. ई-13-30-2011-5-एक.— श्री स्वदीप सिंह, भाप्रसे (1979), पदस्थापना के लिये प्रतीक्षारत को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय पदस्थ किया जाता है। इसके अलावा उन्हें श्री आर. एस. जुलानिया, भाप्रसे (1985), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के दिनांक 15 मई से 10 जून 2011 तक विदेश प्रशिक्षण की अवधि में प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

(2) उपरोक्तानुसार श्री स्वदीप सिंह द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2007 के

नियम 9 के अन्तर्गत विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची-II में सम्मिलित प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

क्र. ई-5-593-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अशोक कुमार बर्णवाल, आयएस., आयुक्त, लोक शिक्षण तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 9 से 19 मई 2011 तक, ग्यारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। (दिनांक 9 से 13 मई 2011 तक की अवधि एक्स इंडिया बतौर रहेगी)

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार बर्णवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, लोक शिक्षण तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अशोक कुमार बर्णवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक कुमार बर्णवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-732-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आकाश त्रिपाठी, आयएस, कलेक्टर, जिला ग्वालियर को दिनांक 16 से 20 मई 2011 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 एवं 21, 22 मई 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री आकाश त्रिपाठी की अवकाश अवधि में श्री आर. के. जैन, अपर कलेक्टर, ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला ग्वालियर का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आकाश त्रिपाठी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री आकाश त्रिपाठी द्वारा कलेक्टर, जिला ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आर. के. जैन, कलेक्टर, जिला ग्वालियर के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री आकाश त्रिपाठी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आकाश त्रिपाठी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 16 मई 2011

क्र. ई-1-149-2011-5-एक- (ए).— इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13 मई, 2011 द्वारा श्रीमती अरूणा शर्मा, भाप्रसे(1982), वि. क. अ., मध्यप्रदेश मंत्रालय एवं प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग तथा आयुक्त सह-संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, विकास आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग पदस्थ किया गया है. अब उक्त आदेश में उन्हें सामाजिक न्याय विभाग का प्रभार भी सौंपा जाना पड़ा जाए.

क्र. ई-5-561-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री टी. धर्मारव, आयएस. कमिश्नर, उज्जैन संभाग, उज्जैन को दिनांक 13 से 20 जून 2011 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 11, 12 जून 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री टी. धर्मारव की अवकाश की अवधि में श्रीमती एम. गीता, आयएस, कलेक्टर, जिला उज्जैन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिश्नर, उज्जैन संभाग, उज्जैन का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री टी. धर्मारव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, उज्जैन संभाग, उज्जैन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री टी. धर्मारव द्वारा कमिश्नर, उज्जैन संभाग, उज्जैन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती एम. गीता, कमिश्नर उज्जैन, संभाग उज्जैन के प्रभार से मुक्त होंगी.

(5) अवकाशकाल में श्री टी. धर्मारव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री टी. धर्मारव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-822-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री योगेन्द्र शर्मा, आयएस., आयुक्त, नगर निगम, इन्दौर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21 मार्च 2011 द्वारा दिनांक 21 मार्च से 2 अप्रैल 2011 तक तेरह दिन के स्वीकृत एक्स इंडिया अर्जित अवकाश के स्थान पर अब उन्हें दिनांक 23 मई से 10 जून 2011 तक उन्नीस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 21, 22 मई एवं 11, 12 जून 2011का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21 मार्च 2011 की शेष कंडिकायें यथावत रहेंगी.

क्र. ई-1-149-2011-5-एक.—श्री रमेश एस. थेटे, भाप्रसे (1993), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन को आगामी आदेश तक उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पुनर्वास विभाग पदस्थ किया जाता है तथा उन्हें पदेन उप पुनर्वास आयुक्त भी घोषित किया जाता है.

(2) उपरोक्तानुसार श्री रमेश एस. थेटे द्वारा उपसचिव, पुनर्वास विभाग तथा पदेन उप पुनर्वास आयुक्त का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अशोक कुमार गुप्ता, उपायुक्त (विधि), राजस्व विभाग (मूलतः उपायुक्त (विधि) कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त) पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा पुनर्वास विभाग और पदेन उप पुनर्वास आयुक्त केवल पुनर्वास विभाग और पदेन उप पुनर्वास आयुक्त के प्रभार से मुक्त होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2011

क्र. एफ-3-4-2011-एक-4.—राज्य शासन, एतद्वारा, नगरपालिका परिषद् मण्डीदीप, जिला रायसेन एवं नगर पंचायत ईसागढ़, जिला अशोकनगर के आम निर्वाचन 2011 हेतु दिनांक 11 मई 2011 बुधवार को जिले के संबंधित नगरीय क्षेत्रों में सामान्य अवकाश घोषित करता है.

(2) उक्त दिनांक को केवल संबंधित नगरीय क्षेत्रों के लिये परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स एक्ट) 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश कौल, उप सचिव.

भोपाल, दिनांक 9 मई 2011

क्र. एफ. 13-06-2010-एक-4.—श्री संजय कुमार मिश्र, राज्य शिष्टाचार अधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 4 से 10 मई 2011 तक सात दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री संजय कुमार मिश्र, राज्य शिष्टाचार अधिकारी को वेतन एवं भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय कुमार मिश्र, राज्य शिष्टाचार अधिकारी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

(4) श्री संजय कुमार मिश्र, राज्य शिष्टाचार अधिकारी के अवकाश पर रहने की अवधि में श्री संजय सिंह चौहान, सत्कार अधिकारी, श्री संजय कुमार मिश्र का कार्य देखेंगे।

राजेश कौल, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 16 मई 2011

क्र. ई-5-425-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मनोज गोयल, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21 अप्रैल 2011 द्वारा दिनांक 11 से 23 अप्रैल 2011 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था. राज्य शासन उक्त आदेश के स्वीकृत अर्जित अवकाश के स्थान पर अब उन्हें दिनांक 11 से 30 अप्रैल 2011 तक कुल बीस दिन का लघुकृत अवकाश कार्यांतर स्वीकृत किया जाता है।

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21 अप्रैल 2011 की शेष कंडिकायें यथावत रहेंगी।

क्र. ई-5-575-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एस. एन. मिश्रा, आयएएस., आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10 मई 2011 द्वारा दिनांक 23 से 30 मई 2011 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21 एवं 22 मई 2011 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया है।

(2) श्री एस. एन. मिश्रा की अवकाश अवधि में श्री विनोद चन्द्र सेमवाल, आयएएस, वि.क.अ.-सह-आयुक्त, उद्योग मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम तथा प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास का प्रभार सौंपा गया था. उक्त आदेश की तत्संबंधी कंडिका 2, 3 एवं 4 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री एस. एन. मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

क्र. ई-5-713-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अरूण कुमार पाण्डेय, आयएएस., आयुक्त-सह-पंजीयक, सहकारी संस्थायें तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ तथा पदेन सचिव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग को निम्नानुसार अर्जित अवकाश कार्यांतर स्वीकृत किया जाता है:—

1. दिनांक 14 से 15 फरवरी 2011 तक 2 दिन
2. दिनांक 28 फरवरी से 1 मार्च 2011 तक 2 दिन

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार पाण्डेय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त -सह-पंजीयक, सहकारी संस्थायें तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाश काल में श्री अरूण कुमार पाण्डेय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरूण कुमार पाण्डेय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-848-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी, आयएएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग को दिनांक 2 से 20 मई 2011 तक उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव, "कार्मिक".

भोपाल, दिनांक 13 मई 2011

क्र. ई-1-149-2011-5-एक.—नीचे तालिका के खाना-2 में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना-3 में दर्शाए गए पद पर, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना-3 में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया है
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती अरूणा शर्मा (1982), वि.क.अ. मध्यप्रदेश मंत्रालय एवं प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग तथा आयुक्त-सह-संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी.	विकास आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग.	-
2	श्री राकेश अग्रवाल (1982), सचिव, मानव अधिकार आयोग, भोपाल.	संचालक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल	प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन
3	श्री एम. के. गोयल (1983), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन पशुपालन विभाग	प्रशासकीय सदस्य राजस्व मंडल, ग्वालियर	-
4	श्री बी. पी. सिंह (1984), वि.क.अ.-सह-कमिश्नर, इंदौर संभाग, इंदौर.	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी मध्यप्रदेश मंत्रालय.	प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन
5	श्री आलोक श्रीवास्तव (1984), पर्यावरण आयुक्त तथा पदेन प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	-
6	श्री आर. के. स्वाई (1984), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग.	राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व, पुनर्वास तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग.	प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन
7	श्री प्रभांशु कमल (1985), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग	-

(1)	(2)	(3)	(4)
8	श्री इकबाल सिंह बैस (1985), महानिदेशक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एफ्को).	पर्यावरण आयुक्त तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग तथा महानिदेशक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एफ्को) एवं प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन.	प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन
9	श्री अनिल श्रीवास्तव (1985), राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व, पुनर्वास तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग.	-
10	श्री अजय तिकी (1987), विकास आयुक्त एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा पदेन अपर विकास आयुक्त	-
11	श्री एम. मोहन राव (1987), संचालक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल.	आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण	-
12	श्री राजीव रंजन (1989), आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग.	आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर.	-
13	श्री एस. डी. अग्रवाल (1989), कमिश्नर, चंबल संभाग मुरैना.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग तथा आयुक्त-सह संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी का अतिरिक्त प्रभार.	-
14	श्री एस. एन. मिश्रा (1990), आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.	-
15	श्री अशोक कुमार शाह (1990), आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग.	-

(1)	(2)	(3)	(4)
16	डॉ. व्ही. एस. निरंजन (1990), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग.	आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश	-
17	श्री पी. के. पाराशर (1990), कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर.	कमिश्नर, इंदौर संभाग, इंदौर	-
18	श्री विश्वमोहन उपाध्याय (1991), आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग.	आयुक्त, पंचायती राज (सेवाएं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को सौंपते हुए).	संभागीय कमिश्नर
19	श्री एम. के. वाष्णीय (1991), सदस्य, राजस्व मंडल, ग्वालियर	आयुक्त-सह-संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास तथा सचिव, मानव अधिकार आयोग का अतिरिक्त प्रभार.	संभागीय कमिश्नर
20	श्री संजय कुमार शुक्ला (1994), अध्यक्ष-सह-प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मध्यक्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल.	आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, (सेवाएं ऊर्जा विभाग से वापस लेते हुए).	-
21	श्री अशोक कुमार शिवहरे (1995), आयुक्त-सह-संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास.	कमिश्नर, चंबल संभाग, मुरैना	-
22	श्री एन. के. व्यास (1996), अपर सचिव, वित्त विभाग तथा पदेन संचालक, संस्थागत वित्त.	अध्यक्ष-सह-प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मध्यक्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल. (सेवाएं ऊर्जा विभाग को सौंपते हुए).	अपर सचिव मध्यप्रदेश शासन

(2) श्री आई. एस. दाणी, भाप्रसे (1980), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग को अपने कर्तव्यों के साथ-साथ, आगामी आदेश तक, उच्च शिक्षा विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है. इसके अलावा श्री संजय कुमार सिंह, भाप्रसे (1987), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अवकाश अवधि में तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग का प्रभार भी उन्हें अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(3) उपरोक्तानुसार श्री विश्वमोहन उपाध्याय द्वारा आयुक्त, पंचायती राज का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एच. एल. त्रिवेदी, भाप्रसे (1993), आयुक्त, पंचायत एवं सामाजिक न्याय तथा आयुक्त, पंचायती राज केवल आयुक्त, पंचायती राज के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(4) श्री गुलशन बामरा, भाप्रसे (1997), कलेक्टर, जबलपुर को अपने कर्तव्यों के साथ-साथ, आगामी आदेश तक, कमिश्नर, जबलपुर संभाग का चालू प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 मई 2011

एफ क्र. 15-1-2011-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार निदेश देती है, कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में वर्णित गांव के लिए, उसके कॉलम (3) में वर्णित अधिकारी द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जाए:—

अनुसूची

तहसील—बड़नगर	जिला —उज्जैन	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम
क्रमांक	पटवारी हल्का क्रमांक सहित गांव का नाम	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)
1	मसवाडियाधार प. ह. नं. 16	अधीक्षक भू-अभिलेख

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 3 मई 2011

पृ. क्र. एफ क्र. 15-1-2011-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्र. एफ15-1-2011-सात-6, दिनांक 3 मई 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal, the 3rd May 2011

F. No. 15-1-2011-VII-6.—In exercise of the powers vested under section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959, the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the village mentioned in column (2) of the Schedule below by the Officer mentioned in column (3) thereof:—

SCHEDULE

Tahsil—Badnagar	District—Ujjain	Designation of the Officer authorized to prepare record of rights.
Serial No.	Name of the village with P. C. No.	Designation of the Officer authorized to prepare record of rights.
1	Maswadia-dhar P. C. No. 16	Superintendent Land Records.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ASHOK GUPTA, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 4 मई 2011

एफ क्र. 2-3-2010-सात-6-692(ए).—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 2-2-सात-शा-8-2001, दिनांक 26 जनवरी 2001 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) के अधीन गठित की गई समस्त ग्राम सभाओं को उनकी अपनी-अपनी अधिकारिताओं के भीतर निम्नलिखित शक्तियां प्रदान करता है, अर्थात् :—

- (1) उक्त संहिता की धारा 128 की उपधारा (2) के अधीन तहसीलदार की शक्तियां;
- (2) उक्त संहिता की धारा 130 के अधीन तहसीलदार की शक्तियां; और
- (3) खातों के बंटवारे के अविवादित मामलों के संबंध में, उक्त संहिता की धारा 178 के अधीन तहसीलदार की शक्तियां.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 मई 2011

पृ. क्र. एफ. 2-3-2010-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-3-2011-सात-6, दिनांक 4 मई 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal, the 4th May 2011

F. No. 2-3-2010-VII-6-692(A).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 24 of the M. P. Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) and in supersession of this department's Notification No. F. 2-2-VII S-8-2001, dated the 26th January, 2001 the State Government hereby confer the following powers upon all the Gram Sabhas constituted under the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), within their respective jurisdictions, namely :—

- (1) the powers of Tahsildar under sub-section (2) of Section 128 of the said code;
- (2) the powers of Tahsildar under section 130 of the said code; and

- (3) the powers of Tahsildar under section 178 of the said Code, in respect of undisputed cases of partition of holding.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ASHOK GUPTA, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 4 मई 2011

एफ क्र. 2-3-2010-सात-6- 692(बी).—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नामांतरण के अविवादित मामलों के निराकरण के संबंध में उक्त संहिता की धारा 110 के अधीन तहसीलदार की शक्तियां, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) के अधीन गठित की गई समस्त ग्राम सभाओं को उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर, इस निदेश के साथ प्रदत्त करती है, कि ऐसे मामलों का निराकरण 45 दिन के भीतर किया जाए तथा इस समयावधि के पश्चात ऐसे मामलों का निराकरण तहसीलदार द्वारा किया जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 मई 2011

पू. क्र. एफ- 2-3-2010-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-3-2011-सात-6, दिनांक 4 मई 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal, the 4th May 2011

F. No. 2-3-2010-VII-6-692-(B).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 24 of the M.P. Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) the State Government, hereby confer the powers of Tahsildar under section 110 of the said Code for the purpose of disposal of undisputed cases of mutation, upon all the Gram Sabhas constituted under the Madhya Pradesh Panchayat Raj Evam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994) within their respective jurisdiction, with the direction that such cases shall be disposed of within 45 days and after this time period, such cases shall be disposed of by the Tahsildar.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ASHOK GUPTA, Addl. Secy.

गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 मई 2011

क्र. एफ-1(ए)-272-80-ब-2-दो.—श्री आर. सी. अरोरा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (चयन) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को पुलिस मुख्यालय द्वारा दिनांक 08, 09, 10, 13 एवं 14 जून 2011 का आकस्मिक अवकाश, दिनांक 11 एवं 12 जून 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किये जाने की दशा में राज्य शासन द्वारा खण्ड वर्ष 2010-2013 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-2011 में गृह नगर यात्रा के बदले में भारत में कहीं भी भ्रमण की पात्रता के तहत जम्मू एवं कश्मीर (जम्मू श्रीनगर एवं लेह/ लद्दाख) परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाती है :—

1.	श्री आर. सी. अरोरा	स्वयं
2.	श्रीमती शारदा आरोरा	पत्नी
3.	श्री नकुल अरोरा	पुत्र

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री आर. सी. अरोरा, भापुसे को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

भोपाल, दिनांक 16 मई 2011

क्र. एफ-1(बी)-154-10-बी-4-दो.—राज्य शासन मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा-2008 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिये निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा में कनिष्ठ वेतनमान 15,600-39, 100+5,400 में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त करता है. नवनियुक्त अधिकारीगण आदेश प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी, सागर में प्रशिक्षण हेतु कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे. अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माने जावेंगे :—

क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित मुख्य सूची का क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पता
(1)	(2)	(3)

1	06	श्री राकेश सिंह मरकाम, जे एम.आई. जी. 91/3 बी, साकेत नगर, भोपाल.
---	----	---

(2) उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को परिवीक्षा अवधि में "संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण" प्रशासन अकादमी, भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी.

(3) नियुक्त अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2000 से शास्ति होगी. सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अन्तर्गत निराकृत किये जायेंगे.

(4) नियुक्त अधिकारियों की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती हैं. इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग-पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा. एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे, नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व की बकाया की भांति उनसे वसूल की जावेगी.

(5) राज्य शासन के अधीन दिनांक 1 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेन्शन योजना लागू होगी.

(6) नियुक्त अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी. उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.

(7) परिवीक्षाधीन अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व एक "बॉण्ड" शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होंगे, की वापसी के लिये उत्तरदायी रहेगा. जिसकी पूर्ति कर जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी सागर में कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारी को अपनी उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.

(8) नवनि्युक्त अधिकारी पूर्व में शासकीय, अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत हैं, तो उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अजांच एवं अमांग प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश ओगरे, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 18 मई 2011

फा. क्र. 17(ई)4-2001-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री मोहम्मद अजहर, सिविल न्यायाधीश वर्ग-1 नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की सेवाएं उप कल्याण आयुक्त के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु वेलफेयर कमिश्नर, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल की स्थापना पर, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सौंपता है.

फा. क्र. 17(ई)35-2010-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन, द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा की सेवाएं राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, भोपाल में विधि अधिकारी के पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 16 मई 2011

फा. क्र. 1(सी) 2011-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के लिये अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत श्री मुकेश सिंह सिसौदिया, अधिवक्ता को जिला धार, (म. प्र.) के लिये विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

उक्त नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है.

नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1(सी)एट्रोसिटी-इक्कीस-ब (दो), दिनांक 24 अप्रैल 2008 के अनुरूप देय होंगे.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या -64-मुख्य शीर्ष-2225-(5171) विशेष न्यायालयों की स्थापना -31-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां -003- अभिभाषकों को फीस प्रभार के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

देयक का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

भोपाल, दिनांक 19 मई 2011

फा. क्र. 1(अ) 4- इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जबलपुर के आदेश के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित प्रकरणों में पैरवी करने हेतु श्री शशांक शेखर, अधिवक्ता, जबलपुर को एतद्द्वारा नियुक्त करता है।

श्री शशांक शेखर, अधिवक्ता को उनके द्वारा की गई पैरवी के फलस्वरूप अधिवक्ता फीस एवं अन्य व्यय का भुगतान, उनके द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को संबंधित सेवा शर्तें दिनांक 29 अप्रैल 2011 में वर्णित अनुसार प्रशासकीय विभाग द्वारा देय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, सचिव.

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 मई 2011

क्र. एफ-1-(1)-45-2011-सी-ग्यारह.—राज्य शासन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 4 की उपधारा (2) में यथा विनिर्दिष्ट अधिकारियों को, उक्त सारणी के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों पर, उसके कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट उक्त अधिनियम की धाराओं द्वारा रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त करता है :—

अनुक्रमांक (1)	अधिकारी का नाम (2)	अधिनियम की धाराएं (3)	क्षेत्र (4)
1.	श्री आलोक नागर, डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म्स एण्ड सोसायटीज, मध्यप्रदेश.	धारा 21, 29 एवं 34	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के. ठाकुर, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 मई 2011

क्र. एफ-3-183-2010-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 “क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-183-2010-बत्तीस, दिनांक 16 दिसम्बर 2010 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित शिवपुरी विकास योजना, 2001 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

उपांतरण विवरण

क्रमांक (1)	ग्राम (2)	खसरा क्रमांक (3)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग (5)	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग (6)
1	ग्राम नोहरी खुर्द	सर्वे क्र. 494, 495	मिन कुल 11.050 हेक्टेयर में से 4.925 हेक्टेयर	कृषि	सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक अन्तर्गत स्वास्थ्य. शर्त.—पहुँच मार्ग 30 मीटर चौड़ा रखा जाये जिसे विकास योजना पुनरीक्षण के समय यातायात, परिभ्रमण संरचना में सम्मिलित किया जाये.
		योग . .	4.925 हेक्टेयर		

(2) उपरोक्त उपांतरण शिवपुरी विकास योजना, 2001 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मई 2011

सूचना

क्र. एफ-1-11-09-सात-शा.6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) के प्रतिबंध में निहित उपबंध के अनुसरण में इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एक नवीन तहसील लिधौरा सृजित करने हेतु निम्न अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित किये गये अनुसार वर्तमान तहसील जतारा एवं पलेरा जिला टीकमगढ़ की सीमाओं को परिवर्तित करने, कॉलम (2) में दर्शाई तहसील को कॉलम (3) में दर्शाये उसके नाम के मुख्यालय से उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित किये अनुसार नवीन तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है.

2. मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर प्रस्ताव पर विचार किया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को लिखित रूप में प्रेषित किये जा सकेंगे:—

अनुसूची

क्रमांक	प्रस्तावित तहसील	मुख्यालय	वर्तमान तहसील	परिवर्तन का स्वरूप	सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	लिधौरा	लिधौरा	जतारा एवं पलेरा.	1. वर्तमान तहसील जतारा के रा. नि. मं. लिधौरा के प.ह.नं. 29 से 40 तक कुल 12 प. हल्के. 2. वर्तमान तहसील पलेरा के रा. नि. मं. स्यावनी के प.ह.नं. 1 से 15 तक कुल 15 प. हल्के, इस प्रकार नवीन तहसील लिधौरा में कुल 27 प. हल्के जिनमें कुल 87 ग्राम होंगे.	पूर्व में—तह. पलेरा एवं उत्तर प्रदेश. पश्चिम में—तह. मोहनगढ़ उत्तर में—तह. पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ़. एवं जिला झांसी उत्तर प्रदेश दक्षिण में—तह. जतारा जिला टीकमगढ़.
2	शेष तहसील जतारा	जतारा	जतारा	1. रा.नि.मं. दिगौड़ा के प.ह.नं. 19 से 28 तक 10 पटवारी हल्के. 2. रा.नि.मं. जतारा के प.ह.नं. 41 से 54 तक कुल 14 पटवारी हल्के इस प्रकार तहसील जतारा में कुल 24 पटवारी हल्के एवं कुल 75 ग्राम शेष रहेंगे.	पूर्व में—तह. पलेरा जिला टीकमगढ़. पश्चिम में—तह. मोहनगढ़ जिला टीकमगढ़. उत्तर में—तह. पृथ्वीपुर एवं तह. पलेरा जिला टीकमगढ़. दक्षिण में—तह. टीकमगढ़.
3	शेष तहसील पलेरा.	पलेरा	पलेरा	1. रा.नि.मं. बराना के प.ह.नं. 16 से 31 तक कुल 16 पटवारी हल्के. 2. रा.नि.मं. पलेरा के प.ह.नं. 32 से 47 तक कुल 16 पटवारी हल्के इस प्रकार तहसील पलेरा में कुल 32 पटवारी हल्के कुल ग्राम एवं 103 शेष रहेंगे.	पूर्व में—तह. नौगांव एवं तह. छतरपुर, जिला छतरपुर. पश्चिम में—प्रस्ताव तह. लिधौरा एवं तह. जतारा जिला टीकमगढ़. उत्तर में—जिला झांसी (उत्तर प्रदेश) दक्षिण में—तह. जतारा एवं तह. बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़.

3. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 3 मई 2011

क्र. 294-10-परीक्षा-सां.परी.-2011.—मध्यप्रदेश शासन, भू-अभिलेख विभाग, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना क्रमांक 1752-2413-नो-76, दिनांक 22 अप्रैल 76 के अन्तर्गत प्रसारित विभागीय परीक्षा नियमों के नियम-4 सहपठित नियम 12 के अनुसार भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त विभाग के सांख्यिकीय वर्ग के उप आयुक्त (सांख्यिकी) सहायक आयुक्त (सांख्यिकीय) एवं उनके समान वेतनमान वाले सांख्यिकी कार्यपालिक अधिकारियों तथा अन्य सांख्यिकी कार्यपालिक अधिकारियों के लिए निर्धारित विभागीय परीक्षा माह जून 2011 में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान महलगांव ग्वालियर में निम्न कार्यक्रम के अनुसार सम्पन्न होगी:—

दिन	दिनांक	समय	विषय
गुरुवार	29-6-2011	प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक	राजस्व विधि एवं कार्य प्रणाली (बिना पुस्तक के)
शुक्रवार	30-6-2011	प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक	लेखा (बिना पुस्तक के)

1. परीक्षार्थी को उत्तर पुस्तिकाएं परीक्षा कक्ष में मिलेगी.
2. प्रश्नपत्र हिन्दी भाषा में छपे होंगे तथा उनका उत्तर हिन्दी भाषा में देना होगा.

श्रीमती कुसुम छारी, उप आयुक्त,

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश

छतरपुर, दिनांक 4 मई 2011

क्र. 173-एस.सी.-2-2011.—छतरपुर जिले में ग्रीष्म ऋतु में होने वाली बीमारियों एवं पेयजल की अशुद्धता के कारण संक्रामक रोग हैजा, आंत्रशोध, पेचिस, पीलिया, मस्तिक ज्वर की संभावना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इन बीमारियों के प्रादुर्भाव और फैलाव की रोकथाम हेतु आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाए तुरन्त लागू किये जावें.

अस्तु मैं, राहुल जैन कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला छतरपुर (म. प्र.) आपित्त जनक हैजा/ज्वर/आंत्रशोध विनियम, 1983 के नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, जिला छतरपुर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करता हूं तथा यह आदेश देता हूं कि:—

(क) अधिसूचित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, उपहारगृहों, भोजनालयों, होटलों जनता के लिए खाद्य व पेय पदार्थ निर्माण कार्य करने या उनके प्रयोग करने के लिए कायम रखी गई स्थापना में विक्रय या निर मूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये गये स्थानों पर:—

1. बासी मिठाईयों तथा नमकीन वस्तुओं व सड़े-गले फल, सब्जियों, दूध, दही, उबली हुई चाय, काफी, अण्डों की बिक्री प्रतिनिषिद्ध रहेगी.
2. बासी मिठाईयों व नमकीन वस्तुओं, फल, सब्जियों, उबली हुई चाय, शर्बत मांस, मछली, अण्डे, कुल्फी आईस्क्रीम बर्फ के लड्डू चूसने वाले पदार्थ बिक्री हेतु खुले में नहीं रखे जायेंगे, उन्हें जालीदार ढक्कनों अथवा कांच के बंद शोकेस में अथवा पारदर्शी आवरण से ढक कर इस प्रकार रखा जावेगा कि वे मक्खी, मच्छर आदि कीटों या दूषित हवा से मानव उपयोग के लिये दूषित अस्वास्थ्य कारक या अनुपयोगी न हो सकें.

- (ख) इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचित क्षेत्र में या बाहर के कोई भी व्यक्ति इस आदेश के चरण दो में उल्लिखित वस्तुओं तथा तैयार एवं पकाये गये भोजन को न तो लायेगा और न ही ले जायेगा.
- (ग) इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में अधिसूचित क्षेत्र के किसी भी बाजार, भवन, दुकान, स्टॉल अथवा खाने पीने की किसी भी वस्तु के विक्रय निर्मूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये जा सके स्थानों में प्रवेश करने, वहां विद्यमान ऐसी वस्तुओं की जांच पड़ताल करने निरीक्षण करने तथा खाने पीने की ऐसे वस्तुओं जो मानव उपयोग के लिये अभिप्रेरित है और जो पदार्थ दूषित या अनुपयुक्त है तो उन अस्वास्थ्य कारक दूषित अनुपयुक्त वस्तुओं के अधिग्रहण करने, हटाने, नष्ट करने ऐसी रीति से निर्वसन करने के लिये जिससे वह मानव द्वारा उपयोग में लायी जा सके, के लिये अधिसूचित क्षेत्र में कार्यवाही हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करता हूं, जो पृथक्-पृथक् एवं आवश्यकतानुसार सामूहिक रूप से कार्यवाही करेंगे.

1. जिले के समस्त कार्यपालक दण्डाधिकारी,
2. जिले के ऐसे चिकित्सा पदाधिकारी जो सहायक चिकित्साधिकारी के पद से नीचे के स्तर के न हो तथा शासकीय वैद्य-आयुर्वेदिक औषधालय.
3. ऐसे आरक्षी पदाधिकारी जो प्रधान आरक्षक की श्रेणी से नीचे का न हो.
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी.
5. स्वास्थ्य अधिकारी/स्वास्थ्य निरीक्षक, सह खाद्य निरीक्षक, नगरपालिका/नगर पंचायत (सर्व),
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत (सर्व) जिला छतरपुर (म. प्र.).

उपरोक्त उल्लिखित पदाधिकारी अधिसूचित क्षेत्र में किन्ही भी नालियों, नालों, गटरों पानी के गंदे गड्ढों, पोखरों, जलकुण्डों, संडासों, वस्त्रों, बिस्तरों, कूड़ा-करकट अथवा किसी प्रकार की गंदगी को हटाने उक्त संबंध में सूचित रोगाणु नाशक पदार्थ का समुचित उपयोग करने के लिये आदेश दे सकेंगे.

- (घ) यह आदेश जारी दिनांक से आगामी 6 माह की अवधि या अन्य आदेश तक जो भी पहले हो, तक प्रभावशील रहेगा.

राहुल जैन, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

क्र. 775-भू-अर्जन-2011

खरगोन, दिनांक 6 मई 2011

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का क्रमांक-1) की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध-पत्र

राजस्व प्रकरण क्रमांक 12-अ-82-10-11

यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं, (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "राज्यपाल" कहा गया है जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशित भी सम्मिलित है) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में श्री महेश्वर हायडल पावर कार्पोरेशन लिमि., मण्डलेश्वर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश जो भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "कम्पनी" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक, पद उत्तरवर्ती और समनुदेशित भी सम्मिलित है. जिसकी ओर से मुख्यतया—

श्री असद जाफर, महाप्रबंधक जो श्री महेश्वर हायडल पावर कार्पोरेशन लिमि., अभयांचल परिसर, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश में कार्य कर रहे हैं, के मध्य आज दिनांक 6 मई 2011 को सम्पादित किया जा रहा है.

1. कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को (जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के बांध निर्माण के कारण आंशिक डूब से प्रभावित होने से ग्राम पथराड़ खुर्द प.ह.नं. 18, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन की निजी कृषि भूमि कुल सर्वे नंबर संख्या 152 कुल क्षेत्रफल 42.707 हे. भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां के भू-अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन-पत्र माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./1359/09, दिनांक 6 मई 2009 में पारित आदेश के पालन में पेश किया है. जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट-1 पर अंकित किया गया है.

परिशिष्ट-1

निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां एफ.आर.एल. के अन्तर्गत ग्राम पथराड़ खुर्द

अनु.क्र.	नाम भूमि स्वामी/पिता का नाम एवं जाति	खसरा नंबर	अर्जनीय क्षेत्रफल (हे. में)	सम्पत्ति का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		139 पै	0.080	-
1	अनारबाई बेवा छोगालाल कलाल सा. देह	146 147 266 300	0.121 0.125 0.081 0.032	नीम-4, आम-1, - मकान- 13 -
2	अमीचंद पिता घनश्याम कुलमी सा. देह	148 149	0.513	पाईप लाईन-1
3	अनोपचंद, गोपीचंद पिता धन्या तोताराम मोत्या नथी पिता भोलू धवलईबाई बेवा जोतिराम, संतोष, कोमल, नरेंद्र, सुशीला पिता जोतिराम, डोडाबाई बेवा छोग्या, खुश्याल चैनिया, दिनेश, कड़वीबाई, लक्ष्मीबाई कालीबाई पिता छोग्या, सीताबाई बेवा हीरालाल, मंगल, मिश्रीलाल, भगवान, केशरीमल, लीलाबाई पिता हीरालाल, उदा पिता गणपत मधुबाई बेवा गणपत गीता नंदा नानी पिता गणपत फत्तीबाई बेवा मदन देवचंद सुखचंद ज्ञानु पिता मदन, जसोदाबाई पिता मदन गोपाल पिता भगवान रामा मकुंद बाबू पिता औंकार रामलाल दुलीचंद प्यारा शांता सीता पिता शोभ्या, सखाराम द्वारक्या शोभाराम पिता मांग्या अनोखीबाई बेवा मकुंद बलाई सा. देह.	282 283	0.688	-
4	बीनाबाई बेवा धन्नालाल, वंदनाबाई स्व. पति ओमप्रकाश, प्रशांत, दिपिका, पुजा पिता स्व. ओमप्रकाश ब्राम्हण सा. देह.	237/4 263	0.024 0.061	-
5	इंदरसिंह, देवीसिंह, हिम्मतसिंह पिता मांगीलाल गंगाबाई बेवा मांगीलाल राजपूत सा. देह	86 88 218/1 पै 218/2 पै 219/2 262	0.121 1.062 0.340 0.317 0.138	आम-1, कुआं पक्का-1 - - मकान-9,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	ओंकार पिता रणछोड़ मानकर सा. देह	272/14	0.101	-
7	कृष्णकुमार पिता बाबूलाल कुलमी सा. देह	72/8	0.121	
		77/4	0.121	
8	कालू पिता विश्राम कुलमी सा. देह	81/2	0.129	नीम-4
		84/1	0.554	गोबरगैस-2, नींबू-1, नीम-4, इमली-1, गौंदी-1, पाईपलाईन-1.
		85/2	0.563	कुआ पक्का-1, बबूल-6
		87	0.036	-
		164 पै	1.150	नर्मदा पाईपलाईन-1, कुआं पक्का-1, मोटर घर-1, नीम-4
		167	0.332	नीम-2
		291	0.089	मकान-3
9	कैलाश पिता चंदरसिंह राजपूत सा. देह	173/3 पै	0.400	पाईपलाईन-1
10	खुमानसिंह पिता बाबूसिंह राजपूत सा. देह	276/2, 277/2	0.073	-
11	गजानंद पिता भगवान कुलमी सा. पथराड़ खुर्द	128, 129	0.729	कुआ पक्का-1 से सिंचाई पाईपलाईन-1, नीम-14
		215 पै	0.300	पाईपलाईन-1
		265	0.178	मकान-9
12	गजानंद, पुनमचंद पिता खुश्याल, राधाबाई, भागवतबाई पिता खुश्याल कहार सा. देह	156/2 पै	0.080	कुआं पक्का-1
13	गंगाधर पिता देवराम ब्राम्हण सा. देह	258	0.040	-
14	गजराज सिंह पिता फत्तु राजपूत सा. नागझीरी	272/13	0.077	-
15	गंगाबाई बेवा चुन्नीलाल राजपूत सा. देह	307, 308/3	0.113	मकान-1
16	गीता मंदिर न्यास सा. देह	54/1 पै	0.550	कुआं पक्का-1
17	गीताबाई बेवा सीताराम कुलमी सा. देह	67, 68	0.619	सिंचाई पाईपलाईन से
		73, 74	1.137	पाईपलाईन-1, नीम-12, गौंदी-2, बोर-2
		252	0.077	-
		255/2, 278	0.117	ग्राम पंचायत भवन-1, प्रा. वि. आंगनवाड़ी व किचनशेड-1
18	चंदरसिंह पिता सीगदारसिंह राजपूत सा. देह	169/1	0.081	सर्वे नं. 169/3, 170 के कुएं से पियत.
		169/3, 170 पै	1.060	कुआं पक्का-1
19	छीतुराम पिता गंगाराम कुलमी सा. देह	257/2	0.044	मकान-1
20	जगन्नाथ पिता मुरार लक्ष्मीबाई पति जगन्नाथ कुलमी सा. देह.	286/1	0.053	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21	जानकीबाई बेवा घनश्याम कुलमी सा. देह	237/6 297, 299/2	0.016 0.073	- -
22	जितेंद्र कुमार पिता मानसिंह राजपूत सा. देह	166/1 272/7	0.486 0.052	पाईपलाईन-1 मकान-2, हौज-1
23	तिलोकचंद पिता गजानंद कुलमी सा. देह	150/2 पै	0.020	नीम-1, पाईपलाईन-1
24	डालूराम पिता भगवान कुलमी सा. देह	72/3 72/6 77/2 143/2, 144 272/8	0.243 0.081 0.243 1.416 0.166	नीम-3, आम-2 - - कुआं पक्का-1, मोटर खोली-1, होदी-1, बीलपत्र-1. -
25	दयानंद पिता भगवान कुलमी सा. देह	142 272/4, 273, 298/2	0.845 0.089	कुआं पक्का-1, नीम-6, बोर-1. -
26	देवराम पिता जगन्नाथ कुलमी सा. देह	140/1 पै	0.330	पाईपलाईन-1 से पियत, नीम-4, कुआ-1 पक्का.
27	दिनेश पिता नारायण भारूड सा. देह	305/1	0.049	-
28	धनसिंह पिता मांगीलाल राजपूत सा. देह	55/1 पै, 55/2 पै 133/2 296/3	0.040 0.340 0.251 0.024	अनार-1, नीम-1, पाईपलाईन-1 - -
29	धनुबाई स्व. पति भगवान, कैलाश, जगदीश, मनोहर, लीलाबाई, सुशीलाबाई लक्ष्मीबाई पिता भगवान राजपूत सा. देह.	57/2 126/3	0.263 0.073	- -
30	नरेंद्रसिंह पिता रामसिंह राजपूत सा. देह	216/1 पै	0.210	-
31	नहारसिंह, बनसिंह मिश्रीलाल राधेश्याम रामचंद्र पिता मांगीलाल राजपूत सा. देह	132/1, 132/2 133/1 134/1 296/1	0.821 0.554 0.587 0.049	कुआं पक्का-1 सिंचाई सर्वे नं. 132/1 के कुएं से सिंचाई सर्वे नं. 132/1 के कुएं से -
32	नहारसिंह पिता भूवानीराम राजपूत सा. देह	253	0.105	-
33	नवलसिंह पिता गणपतसिंह राजपूत सा. देह	272/12क	0.069	-
34	नत्थू पिता मकुंद राजपूत सा. देह	27/2 पै, 27/3 पै 28/2 पै, 28/3 पै 260/1 288/2	0.110 0.032 0.020	पियत पाईप लाईन-1 से - -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
35	नत्थू पिता भीला जानकीबाई बेवा भीला मराठा सा. देह	271 272/6	0.101 0.024	- -
36	नारायण पिता हेमराज कुलमी सा. देह	71/2 72/1 244/2 246	0.190 0.720 0.040 0.275	नीम-3 नर्मदा पाईपलाईन-1, नीम-6 - -
37	नारायण पिता गोपाल कुलमी सा. देह	130/1, 134/2 130/2, 134/3	0.853 0.506	पाईपलाईन-1, नाग मंदिर-1 नीम-20
38	नारायण पिता गंगाराम कुलमी सा. देह	257/1	0.045	मकान-1
39	प्रेमचंद पिता घनश्याम कुलमी सा. देह	72/2 72/5 75/1/1 77/1 165 पै	0.263 0.081 0.260 0.162 0.100	कुआं पक्का-1 आम-2, नीम-3, मोटर खोली-1, पाईपलाईन-1. - सर्वे नं. 72/2 के कुएं से पियत, नीम-6, बीलपत्र-1. नीम-10 नर्मदा पाईपलाईन-1
40	प्रेमबाई पति लक्ष्मण कुलमी सा. देह	75/2	0.255	-
41	बाबूलाल, डालूराम पिता भगवान कुलमी सा. देह	90	0.227	मकान-1, गोबरगैस-3, सुअरघर-1
42	बाबूलाल पिता गट्टुलाल अग्रवाल सा. देह	299/4	0.016	-
43	भगवान पिता बेचर कुलमी सा. देह	145/3, 145/4	0.235 0.210	पाईपलाईन-1
44	भंवरसिंह पिता मोहनसिंह, गोरधनसिंह पिता केशरसिंह राजपूत सा. जलूद.	251	0.065	-
45	भागवतीबाई बेवा बाघसिंह, इंदरसिंह, महेंद्रसिंह, नरेन्द्रसिंह पिता बाघसिंह राजपूत सा. देह	62/1 पै, 62/2	0.200	पियत खसरा नं. 59/1 के कुएं से
46	भागवतीबाई पति भगवान कुलमी सा. देह	153 पै	0.400	पाईपलाईन-1, गौंदी-2, नीम-2
47	भूवानीबाई बेवा मांगीलाल कुलमी सा. देह	140/2 पै 141	0.440 0.849	पक्के कुएं से पियत कुआं पक्का-1, आम-1, नीम-8
48	भुवानीशंकर पिता देवराम ब्राम्हण सा. देह	227/2	0.672	-
49	भूपेंद्र पिता रामचंद्र कुलमी सा. पथराड़ खुर्द	54/2	0.303	पियत 54/1 के कुएं से, नीम-10, बोर-1.
50	मनीष पिता लखनलाल कुलमी सा. देह	54/3	0.304	पियत 54/1 के कुएं से

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
51	महेंद्रसिंह, राधाबाई, सीमाबाई पिता शक्तिसिंह सरसतबाई बेवा शक्तिसिंह राजपूत नि. ग्रा.	63/1, 63/2	0.809	64/2 के कुएं से सिंचाई, नीम-1, बबूल-1, बोर-1.
52	महेश, दिनेश पिता मोहनलाल, अन्नपूर्णाबाई स्व. पति मोहनलाल कुलमी.	75/1/3 80/2, 82/3	0.097 0.405	ख. नं. 72/2 के कुएं से पियत आम-4, नीम-13, निंबू-1
53	महादेव पिता बाउ कुलमी सा. देह	84/5	0.081	-
54	मनुबाई पति रामसिंह राजपूत सा. देह	96/1 पै	0.240	सर्वे नंबर 101 के कुएं से सिंचाई नीम-4, बड़-1.
55	मानसिंह पिता नराण राजपूत सा. देह	288/3	0.057	-
56	मोहन पिता चुन्नीलाल सुतार सा. देह	161/5 पै, 162/1 पै, 163/1 पै	0.596	खसरा नं. 161/4 के कुएं से पियत नीम-1, सागोन पौधे-6, बोर-9, बबूल-9, नाग मंदिर-1
57	मिश्रीलाल पिता बाउ कुलमी सा. देह	84/2	0.316	नीम-1, बबूल-3
58	मांगीलाल पिता मकुंद राजपूत सा. देह	145/2 288/5	0.145 0.020	- -
59	यशोदाबाई पति हीरालाल कुलमी सा. देह	138/2	0.401	खसरा नं. 138/1 के कुएं से पियत, नीम-13, बोर-9, बबूल-9.
60	रमेश पिता नंदलाल भुजवा सा. देह	301	0.106	-
61	रमेश पिता नानक्या, गंगाबाई बेवा नानक्या, लीलाबाई, मायाबाई पिता नानक्या भारूड़ सा. देह	313 314	0.089 0.073	- -
62	राजेंद्र पिता हुकुमसिंह राजपूत सा. बड़दिया	52 पै	0.340	सिंचाई स्वयं के कुएं से
63	रामेश्वर पिता बाउ कुलमी सा. देह	81/1 83/1, 83/2, 85/1, 84/4	0.134 0.745 0.081	नीम-2, आम-2 माताजी मंदिर ओटला, नीम-2, बबूल-10, पाईपलाईन-1, मकान-1 नीम-2
64	राजनाथ पिता बाउ कुलमी सा. देह	84/3	0.081	-
65	रामसिंह पिता रामचंद्र राजपूत पंढरीनाथ हीरालाल भूवानीशंकर गंगाधर पिता देवराम ग्राम्हण सा. देह.	93/2 पै	0.210	सिंचाई अन्य किराये से
66	राजेश कुमार पिता किशोरसिंह राजपूत सा. देह	166/2 272/18	0.482 0.053	पाईपलाईन-1 मकान-1
67	रामसिंह पिता रामचंद्र राजपूत सा. देह	272/11 276/1	0.101 0.097	- मकान-5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
68	रामसिंह पिता लक्ष्मण राजपूत सा. देह	272/12 ग	0.032	-
69	राधेश्याम पिता घनश्याम कुलमी सा. देह	75/1/2 152	0.218 0.518	सर्वे नं. 72/2 के कुएं से पियत, नीम-6. नीम-1, हौज-1, पाईप लाईन-1
70	रूपसिंह पिता चंद्रसिंह राजपूत सा. देह	154 173/2 पै	0.251 0.240	नीम-4, पाईप लाईन-1 पाईप लाईन-1
71	लखनलाल पिता मोहनलाल अ. पा. क. मोहनलाल पिता कालू, भोलू पिता माधव, पूनीबाई बेवा कालू कमलाबाई पिता कालू कुलमी सा. देह.	264, 272/3 272/5	0.223	-
72	लीलाबाई बेवा बाबूसिंह राजपूत सा. देह	94/1 पै, 95/1 पै 96/2 पै	0.190 0.130	- खसरा नं. 94/1 के कुएं से पियत
73	विष्णुप्रसाद पिता बाबूलाल कुलमी सा. देह	72/4 72/7 77/3	0.122 0.041 0.122	नीम-2 - -
74	शंकरसिंह, गजराजसिंह, गीताबाई, मांगीबाई, बस्करबाई, रमाबाई पिता रणछोड़, गंगाराम पिता दशरथ राजपूत सा. देह.	272/15 298/3	0.016 0.077	- -
75	शिवलाल पिता तुलसीराम कुलमी सा. देह	69, 70, 71/1 254/2	0.939 0.085	72/2 के कुएं से सिंचाई, नीम-9 -
76	संतोष पिता प्रभूराम कुलमी सा. देह	64/2	1.239	कुआं पक्का-1, नीम-18, गौंदी-1, जाम-1, बोर-6, बीलपत्र-1, कुंडी-2, मोटर खोली-1.
77	सोहनलाल पिता एडू मराठा सा. देह	122/9 पै	0.030	सर्वे नं. 122/7 के कुएं से पियत
78	सीताराम पिता लक्ष्मण राजपूत सा. देह	56/2 126/1 131/1 131/3 277/5, 289/2	0.287 0.097 0.295 0.300 0.069	नर्मदा पाईपलाईन-1, नीम-1 - बोर-10 - -
79	सीताराम पिता घनश्याम कुलमी सा. देह	294, 299/3	0.113	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
80	सीताबाई पति श्रीराम कुलमी सा. देह	178 पै	1.260	ख. नं. 177 के कुएं से पियत, नीम-15, बोर-3, बबूल-16.
81	सुरेंद्रराव पिता किशनराव मराठा सा. देह	122/4 ख पैकी	0.310	-
82	सुरेश पिता रणछोड़ कुलमी सा. देह	286/2	0.052	-
		295	0.105	-
83	श्रीराम पिता अमरचंद कुलमी सा. देह	64/1	0.530	पियत सर्वे नं. 64/2 के कुएं से आम-1, नीम-1, बोर-1.
		256	0.049	-
84	श्रीराम पिता सीताराम कुलमी सा. देह	177 पै	0.750	मोटर घर, कुआं पक्का-1, पाईप लाईन-1, नीम-10, बबूल-1, बोर-9, पीपल-1.
85	हरिराम पिता अमरचंद कुलमी सा. देह	272/2, 272/17	0.057	-
86	ज्ञानचंद पिता गोपाल कुलमी सा. देह	292	0.121	
		योग . .	152	42.707

- राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है कि उक्त जल विद्युत् परियोजना राज्य में विद्युत् की कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है.
- कंपनी के भू-अर्जन आवेदन-पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 20-5-2010 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-12-9/2010/सात-2ए, भोपाल, दिनांक 03-06-2010 द्वारा भू-अर्जन की सशर्त अनुमति प्रदान की है. इसका इस अनुबंध-पत्र में समावेश किया गया है.
- कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्त के पालन में कंपनी को राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है. कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध-पत्र निष्पादित किया जाता है.

कंपनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है कि :—

- कंपनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेंगी जो भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अंतर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.
- कंपनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों (खर्च) का भुगतान भी करेंगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू-अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.

- (ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट-1, में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां कंपनी को प्रदान करेगा—
- (i) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के बांध से डूब प्रभावित ग्राम पथराड़ खुर्द की निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं के प्रस्तुत अर्जन प्रस्ताव पर दिनांक 20-5-2010 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार तहसील महेश्वर, जिला खरगोन के ग्राम पथराड़ खुर्द की निजी कृषि भूमि क्षेत्रफल 42.707 हेक्टर तथा उस पर स्थित संरचनाओं के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधान अंतर्गत निम्न शर्तों पर भू-अर्जन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है.
1. कंपनी (इस आशय के करारनामों या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.
 2. भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू-अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत-प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही की जाये.
 3. संबंधित कंपनी के लिये भू-अर्जन किये जाने संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावे.
 4. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा म.प्र. पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जावेगी.
 5. कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेंगे.
 6. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था को जैसे नगर निगम, नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं, कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होंगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.
 7. अर्जित की गयी निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.
 8. भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जन की जा रही है, वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जावेगा.
 9. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.
 10. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा. (धारा 44-ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत).
 11. यदि कंपनी को दी गई भूमि/भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.
 12. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौण खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.
 13. शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.
 14. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.
 15. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होंगे कि, पर्यावरण, जल स्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.

16. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.
17. भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.
18. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो, उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मान कर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी.
19. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.
20. स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी.
 - (ii) भू-अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देख लिया जाये कि यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही यह अनुमति प्रभावशील होगी. इसके साथ ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि क्रय कर देने की कार्यवाही की जायेगी.
 - (iii) भू-अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये कि प्रस्तावित परियोजना में वन अभ्यारण्य क्षेत्र (सेन्च्युरी) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है. यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी.
 - (iv) कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये, जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जावे.
 - (v) भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबद् शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये.

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्र. 1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पक्ष क्र. 2 की ओर से श्री असद जाफर, महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर, जिला खरगोन द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध-पत्र साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है.

साक्षियों के हस्ताक्षर

(पूरा नाम, पिता का नाम एवं पूरा पता)

साक्षी क्र.-1

हस्ता./-

नाम : (मथुरा लाल मण्डलोई)

पता : 219, पुष्प कुंज, बजरंग नगर जेतापुर, खरगोन

पक्ष क्रमांक-1

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-

(केदार शर्मा)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,
जिला-खरगोन (म. प्र.).

साक्षी क्र.-2

हस्ता./-

नाम : (छोटेखान)

पता : 15, टवड़ी मोहल्ला,
खरगोन.

पक्ष क्रमांक-2

हस्ता./-

(असद जाफर)

महाप्रबंधक,
श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो. लिमि.,
मण्डलेश्वर.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खंडवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 26 अप्रैल 2011

क्र.-51-2011-एल.ए.-भू-अर्जन-प्र. क्र.-40-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	सोमगांव	0.45	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25, नर्मदानगर.	पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-52-2011-एल.ए.-भू-अर्जन-प्र. क्र.-41-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खण्डवा	भैंसावा	1.82	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25, नर्मदानगर.	पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-54-2011-एल.ए.-भू-अर्जन-प्र. क्र.-42-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	गोराडिया	2.24	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25, नर्मदानगर.	पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-53-2011-एल.ए.-भू-अर्जन-प्र. क्र.-43-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खण्डवा	जामली सैयद	1.04	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25, नर्मदानगर.	पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 9 मई 2011

क्र. 789-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों

को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	कसरावद	जलखॉ	14.628	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग खरगोन.	इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरे) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 791-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	कसरावद	निमरानी	6.013	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग खरगोन.	इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरे) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 790-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	कसरावद	कसरावद खुर्द	12.295	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 24 खरगोन.	इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरे) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-24, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

खरगोन, दिनांक 13 मई 2011

क्र. 814-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 (1) सह 17 (4) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	बड़वाह	बालाबाद	3.012	महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, खरगोन.	2x 660 मेगावाट की वृहद ताप विद्युत परियोजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला-खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वाह तथा महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. लिमिटेड खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 815-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 (1) सह 17 (4) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	बड़वाह	सेल्दा	239.597	महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, खरगोन.	2x 660 मेगावाट की वृहद ताप विद्युत परियोजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला-खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वाह तथा महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. लिमिटेड खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 816-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि

के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 (1) सह 17 (4) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	बड़वाह	डालची	99.727	महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, खरगोन.	2x 660 मेगावाट की वृहद ताप विद्युत परियोजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान)का निरीक्षण कलेक्टर, जिला-खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वाह तथा महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. लिमिटेड खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 16 मई 2011

क्र. 813-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन, यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	ममदर	1.62	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.).	नहर के निर्माण बावत्

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 815-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन, यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	झलवार	4.43	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.).	नहर के निर्माण बावत्.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 821-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन, यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	खारा	0.016	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.).	नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा),
मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 28 अप्रैल 2011

(1)	(2)
227/5	0.045
206	0.035
199/1/1	0.051
योग :	
1.379	

क्र. 7066-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि

- (क) जिला—राजगढ़
(ख) तहसील—ब्यावरा
(ग) ग्राम—लखनवास, तुमड़िया
(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—2.808 हेक्टेयर

खसरा नं.	क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)

ग्राम-आमडोर

138	0.030
173/2	0.065
141/1	0.010
142/2/1	0.041
142/1	0.063
201/1/3	0.253
172/2	0.068
173/1	0.085
174/1	0.040
178	0.045
180	0.098
232/2	0.105
229	0.110
244/1/1/2	0.060
228/2/2	0.130
227/3	0.022
227/4	0.023

ग्राम-तुमड़िया

28	0.300
26/1/2	0.086
26/1/1/1	0.110
26/1/1/2	0.123
26/1/1/3	0.123
34/2	0.150
91/1	0.030
91/2	0.030
91/4	0.240
97/1/1	0.100
89/1	0.033
89/2	0.034
97/1/2	0.013
89/3	0.033
27/1	0.024
योग :	
1.429	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—लखनवास से तुमड़िया मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा, भू-अर्जन अधिकारी ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 7075-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि

- (क) जिला—राजगढ़
(ख) तहसील—ब्यावरा

		(1)	(2)
(ग) ग्राम—भाटखेड़ी, भिलवाड़िया			
(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—0.611 हेक्टेयर.		27/2	0.006
खसरा नं.	क्षेत्रफल (हे. में)	455/2/1	0.005
(1)	(2)	455/2/2	0.008
ग्राम-भाटखेड़ी		28/1	0.006
		28/2	0.005
390/2/1	0.018	28/3	0.006
390/2/2	0.012	447/3/1	0.008
390/2/3	0.012	447/3/2	0.003
390/2/4	0.015	436/1	0.002
390/2/5	0.015	436/4	0.004
392/1	0.010	91/3	0.010
399/2/1	0.025	436/2	0.002
399/2/2	0.025	436/3	0.004
400/1	0.010	91/4	0.025
464/3	0.010	433/1/1	0.003
561/1	0.009	433/3	0.003
464/2/1	0.012	421/1	0.002
464/2/2/2	0.010	421/3	0.002
464/1/2/2	0.011	433/1/2	0.005
463/1	0.025	95/1	0.005
458/1	0.011	102/2	0.003
248	0.012	103/1	0.006
229	0.006	95/2	0.005
242	0.036	421/4	0.005
246	0.010	91/1	0.008
245	0.007	91/5	0.010
244	0.030		योग : 0.245
243	0.010		
254	0.025		
	योग : 0.366		
ग्राम-भिलवाड़िया			
22	0.015		
23	0.005		
460/2/1/1	0.005		
421/2	0.004		
91/2/1	0.010		
459/3	0.010		
459/2	0.012		
24/1	0.004		
24/2	0.006		
458	0.006		
26/2	0.004		
455/1	0.005		
26/1	0.004		
26/3	0.004		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—भाटखेड़ी से भिलवाड़िया मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा, भू-अर्जन अधिकारी ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 7079-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि

(क) जिला—राजगढ़

- (ख) तहसील—ब्यावरा
(ग) ग्राम—झरखेड़ा
(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—0.903 हेक्टेयर.

खसरा नं. (1)	क्षेत्रफल (हे. में) (2)
ग्राम-झरखेड़ा	
530/2	0.026
530/1	0.026
168/2	0.006
534	0.134
576/1	0.075
168/1	0.006
576/2	0.020
168/3	0.006
574/2	0.172
168/4	0.006
574/1	0.136
536/1	0.020
535/1	0.007
536/2	0.064
536/3	0.024
535/2	0.007
619/1	0.068
169/1	0.020
617/2	0.080

योग : 0.903

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—झरखेड़ा से पाड़ली महाराजा मार्ग निर्माण हेतु.

- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), ब्यावरा भू-अर्जन अधिकारी ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 7081-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि
(क) जिला—राजगढ़

- (ख) तहसील—ब्यावरा
(ग) ग्राम—भगोरा, मानकी, पीपल्याखेड़ी, बेलांस
(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—3.000 हेक्टेयर

खसरा नं. (1)	क्षेत्रफल (हे. में) (2)
ग्राम-भगोरा	
58	0.040
59	0.035
52/1	0.108
50/1	0.063
48	0.068
46	0.048
45/1/2	0.045
52/2	0.046
45/1/1	0.035
52/3	0.046
30	0.023
31/3	0.024
29	0.028
285	0.037
327/26/1	0.010
24	0.012
23/4	0.024
287/22	0.009
22	0.009
131	0.008
27/1	0.017
6/1	0.022
6/2	0.070

योग : 0.827

ग्राम-मानकी

490/282/1	0.040
488/272	0.054
290	0.051
293/3/1	0.081
292/1	0.148
289/2	0.100
292/2	0.177
481/282	0.069
457/282	0.038
408/282/2	0.024
282/7	0.024
285	0.067
286/2	0.029

(1)	(2)	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नापानेरा नेवली मार्ग निर्माण हेतु.
24/2	0.018		
24/1	0.018		
13/3	0.031	(3)	भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा एवं भू-अर्जन अधिकारी ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.
23/1	0.013		
23/2/2	0.018		
3/2	0.025		
17	0.031		
20	0.025		
21	0.020		
2/2/3	0.012		
222	0.025		
192	0.033		
428	0.025		
219	0.014		
221	0.014		
185	0.032		
15/2	0.024		
231	0.016		
231	0.026		
238/1	0.006		
	योग :		
	1.565		
	ग्राम-नेवली		
259/2	0.012		
320	0.025		
259/3	0.025		
321	0.013		
297/1	0.024		
296/1	0.024		
294/1	0.006		
293/1	0.013		
278/2	0.024		
265/1	0.013		
214	0.012		
208	0.006		
184/1	0.025		
182	0.037		
177/4	0.006		
177/3	0.006		
177/2	0.006		
1777/1	0.006		
209	0.004		
212/1	0.002		
213	0.020		
	योग :		
	0.309		
		खसरा नं.	क्षेत्रफल (हे. में)
		(1)	(2)
			ग्राम-नरिया बे
		157	0.008
		154	0.034
		156	0.015
		156	0.010
		156	0.015
		156	0.018
		12/2	0.019
		153/1	0.007
		13	0.026
		16	0.014
		15	0.024
		14/2	0.032
		153/2	0.031
		17/1	0.027
		17/2	0.031
		135/1	0.035
		135/2	0.027
		134	0.047
		27/6	0.036
		133/1	0.027

(1)	(2)
133/2	0.027
122/2	0.072
440/252	0.19
319	0.031
301/1	0.028
306/1	0.006
314	0.048
317	0.016
335	0.028
320	0.016
321	0.016
322/1	0.013
322/2	0.009
324	0.014
325	0.027
333	0.027
297	0.128
योग : <u>1.033</u>	

ग्राम-कांसारेकलां

577/2	0.013
579/2/3	0.063
580/2/1	0.063
580/2/2	0.051
627/580/1	0.013
579/3	0.202
579/2/4	0.126
580/2/3	0.026
580/3	0.038
590/3	0.126
योग : <u>0.721</u>	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सुठालिया रोड से नरिया बे. कांसारेकलां मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा एवं भू-अर्जन अधिकारी ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 7209-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894

(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि

(क) जिला—राजगढ़

(ख) तहसील—ब्यावरा

(ग) ग्राम—नरी, परधानी कुण्डल

(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—0.461 हेक्टेयर

खसरा नं.	क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)

ग्राम-नरी

212	0.050
287	0.017
योग : <u>0.067</u>	

ग्राम-परधानी कुण्डल

49	0.007
44	0.068
48	0.002
38	0.017
33/2	0.036
37	0.022
35	0.039
45/1	0.024
31	0.041
32	0.026
30/2	0.011
51	0.042
23	0.028
52	0.031
योग : <u>0.394</u>	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नरी से सुठालिया मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा एवं भू-अर्जन अधिकारी ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 7211-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (3) में

उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि

(क) जिला—राजगढ़

(ख) तहसील—ब्यावरा

(ग) ग्राम—निवारा, टोड़ी, कड़ियाहाट

(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—2.392 हेक्टेयर.

खसरा नं. (1)	क्षेत्रफल (हे. में) (2)		योग : 1.049
	ग्राम-निवारा		ग्राम-टोड़ी
538/1	0.010	1486	0.015
377/1	0.072	1487	0.015
338/2	0.010	1489	0.020
538/3	0.010	1480/1	0.020
538/6	0.038	1489/4	0.010
538/9	0.010	1488	0.010
538/8	0.010	1489/5	0.015
538/10	0.010	1484	0.010
538/11	0.010	1485	0.015
538/7	0.010	1483/1	0.025
538/4	0.010	1489/3	0.015
538/5	0.010	1481	0.015
376/1	0.080		योग : 0.185
377/4	0.024		ग्राम-कड़ियाहाट
386/1	0.020	16	0.020
523/2	0.010	57/2	0.160
585	0.040	29/1	0.024
386/3	0.020	30/1	0.008
377/5	0.015	30/3	0.031
389	0.030	30/2	0.027
387	0.040	30/1	0.089
505/2	0.030	121/2	0.024
386/2	0.020	32/2/3	0.051
536/2	0.020	33/1/2	0.065
536/1	0.015	57/1	0.055
523/1	0.010	75	0.028
522	0.050	423	0.072
503/1	0.010	425	0.012
518/2	0.020	80/2	0.012

(1)	(2)
80/1	0.013
80/5	0.012
422	0.039
79	0.058
371	0.060
121/1/2	0.035
122/1/1	0.006
368	0.005
369/1	0.015
121/1/1	0.035
122/2/1	0.010
125/2/1	0.011
122/1/2	0.005
426/1	0.097
426/3	0.055
125/2/3	0.024
योग :	<u>1.158</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—निवारा से कड़ियाहाट मार्ग निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा एवं भू-अर्जन अधिकारी, ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 10 मई 2011

क्र. 4 अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—टीकमगढ़

(ख) तहसील—पृथ्वीपुर	
(ग) ग्राम—जलंधर	
(घ) लगभग क्षेत्रफल—11.108 हेक्टेयर.	
खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
149/1	0.600
149/2	1.619
151/1	2.023
151/2/2	1.619
152/2	1.214
153	2.246
154/1/2	1.220
154/2	0.567
योग :	<u>11.108</u>

- (2) सतीघाट तालाब योजना के डूब क्षेत्र एवं बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, निवाड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 5 अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—टीकमगढ़
(ख) तहसील—पृथ्वीपुर
(ग) ग्राम—मवई
(घ) लगभग क्षेत्रफल—32.613 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
51/1/1	1.619
51/2	0.130
51/4	2.407
57/2	0.807
59/1	0.900
62/1	0.245
62/2	0.130

(1)	(2)	(1)	(2)
63/1	0.391	107/1	0.304
63/3	0.013	109/2	1.011
64/1	0.030	110	0.518
64/2	0.685	111	0.138
64/4	0.118	112	0.134
67/1/1	0.664	113	0.020
67/1/2	0.745	114	0.053
67/5	0.100	115	0.073
68	1.000	116	0.166
69	0.400	117	0.231
72	1.300	118	0.077
73	0.223	119	0.069
74	0.012	120	0.109
75	0.648	121	0.020
76	0.348	122	0.129
77	0.238	123	0.049
78	0.186	124	0.174
79	0.032	125	0.028
80	0.320	126	0.125
81	0.405	127	0.129
82	0.255	128/1	0.032
83	0.036	128/2	0.110
84	0.486	129/1	0.036
90	0.100	129/2	0.159
92/1/1	0.639	130/1	0.073
92/1/2	0.040	130/2	0.020
92/1/3	0.750	131	0.089
92/1/4	0.901	132	0.267
92/2	1.670	133	0.012
93	0.773	134	0.040
94	1.214	135	0.028
95	0.202	136	0.097
96	0.158	137	0.676
97	0.085	138	0.053
98	0.227	139	0.300
99	0.733	143	0.040
100	0.020	159	0.060
101	0.624	160	0.287
102	0.231	161	0.024
103	0.032	162	0.049
104	0.239	163	0.049
105	0.049	164	0.073
106	0.101	165	0.162

(1)	(2)	अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—
166	0.040	अनुसूची (1) भूमि का वर्णन— (क) जिला—टीकमगढ़ (ख) तहसील—पृथ्वीपुर (ग) ग्राम—मानिकपुरा (घ) लगभग क्षेत्रफल—9.168 हेक्टेयर. खसरा नं. रकबा (हे. में) (1) (2) 14/664 0.235 14 0.332 15 0.020 16 0.243 16/665 0.210 17 0.036 18 0.036 19 0.045 13/2 0.251 13/1 0.057 20 1.250 22 0.097 23 0.053 24 0.479 25/1 0.653 25/2 1.246 27 0.640 28 0.753 29 0.004 30 0.563 32/3 0.676 36/1 0.389 37 0.900 योग : 9.168
167	0.012	
169	0.016	
170	0.020	
171	0.040	
172/1	0.180	
172/2	0.110	
172/3	0.025	
173	0.150	
174	0.032	
175	0.049	
176	0.125	
177	0.032	
178	0.032	
179	0.049	
180	0.012	
181	0.061	
182	0.186	
183	0.162	
184	0.105	
185	0.057	
186	0.081	
187	0.393	
188	0.206	
189	0.053	
190	0.202	
191	0.033	
192	0.090	
198	0.014	
199	0.086	
200/1	0.006	
योग : 32.613		
(2) सतीघाट तालाब योजना के डूब क्षेत्र एवं बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है.		
(3) भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, निवाड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है.		

प्र. क्र. 8 अ-82-10-11-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन

(2) बरूआ नाला तालाब योजना के डूब क्षेत्र के लिए सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व निवाड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 9 अ-82-10-11-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—टीकमगढ़

(ख) तहसील—निवाड़ी

(ग) ग्राम—पनयाराखेरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—92.163 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा (हे. में)

(1)

(2)

2

0.186

3

0.134

4

0.129

5

0.012

6

0.097

7

0.121

8

2.039

9

0.235

12

0.008

13

0.012

14

1.894

16

0.785

17

0.405

18

0.089

19

0.073

20

0.012

21

0.053

22

0.077

23

0.231

24

0.020

25

0.129

26

0.061

27

0.024

28

0.328

29

0.065

30

0.142

31

0.073

32

0.016

33

0.146

34

0.198

(1)

(2)

35

0.182

36

0.206

37

0.040

38

0.129

39

0.101

40

0.028

41

0.028

42

0.073

43

0.049

44

0.032

45

0.024

46

0.016

47

0.045

48

0.101

49

0.077

50

0.065

51

0.097

52

0.008

53

0.012

54

0.008

55

0.016

56

0.036

57

0.036

58

0.372

59

0.206

60

0.085

61

0.129

62

0.121

63

0.024

64

0.077

65

0.154

66

0.008

67

0.008

68

0.045

69

0.049

70

0.113

71

0.198

72

0.024

73

0.016

74

0.016

75

0.028

76

0.113

77

0.150

(1)	(2)	(1)	(2)
78	0.283	125	0.121
79	0.073	126	0.109
80	0.061	127	0.024
81	0.008	128	0.085
82	0.295	129	0.117
83	0.146	130	0.129
84	0.146	131	0.462
85	0.101	132	0.214
88	0.729	133	0.166
89	0.121	134	0.053
90	0.080	135	0.040
91	0.036	136	0.109
92	0.259	137	0.061
93	0.295	138	0.045
94	0.809	139	0.016
97	0.028	140	0.162
98	0.129	141	0.231
99	0.061	142	0.082
100	0.016	143	0.082
101	0.049	144	0.069
102	0.032	145	0.057
103	0.065	146	0.105
104	0.045	147	0.138
105	0.016	148	0.040
106	0.016	149	0.028
107	0.012	150	0.121
108	0.109	151	0.049
109	0.020	152	0.028
110	0.024	153	0.024
111	0.129	154	0.117
112	0.081	155	0.045
113	0.085	156	0.024
114	0.069	157	0.016
115	0.061	159	0.219
116	0.061	160	0.555
117	0.109	161	0.206
118	0.024	162	0.664
119	0.194	163	0.069
120	0.271	164	0.040
121	0.182	165	0.433
122	0.097	166	0.543
123	0.121	167	0.275
124	0.129	168	2.827

(1)	(2)	(1)	(2)
170	0.045	210	0.012
171	0.040	211	0.065
172	0.073	212	0.089
173	0.045	213	0.085
174	0.081	214	0.073
175	0.053	215	0.085
176	0.008	216	0.065
177	0.028	217	0.065
178	0.089	218	0.129
179	0.089	219	0.138
180	0.101	220	0.101
181	0.008	221	0.057
182	0.012	222	0.077
183	0.089	223	0.036
184	0.028	224	0.129
185	0.089	225	0.121
186	0.020	226	0.154
187	0.008	228	0.684
188	0.101	229	3.521
189	0.134	230/1	3.553
190	0.061	230/2	2.833
191	0.158	230/4/2	0.809
192	0.036	231	1.291
193	0.069	232	0.251
194	0.028	233	0.312
195	0.028	234	0.085
196	0.045	235	0.061
197	0.028	230/3	1.416
198	0.032	236	0.121
199	0.036	237	0.077
200	0.040	238	0.316
201	0.085	239	0.069
202	0.028	240	0.154
203	0.028	244/1/1	0.405
204	0.049	244/2/2	0.405
205	0.061	244/1/2	0.400
206	0.036	244/2/1	0.200
207	0.045	253	2.000
208	0.016	252/3/1	1.000
209	0.073		

(1)	(2)	(1)	(2)
254	0.008	288	0.158
241/1	1.500	289	0.231
241/3/2	1.214	290	0.085
241/3/3	0.305	291	0.109
242/1/1	0.405	292	0.169
242/1/2	0.100	293	0.109
242/1/3	0.100	294/1	0.281
255	0.866	294/2	0.169
256	0.016	295	0.227
257	0.202	296	0.142
258	0.109	297	0.101
259	0.344	298	0.987
260	0.299	299	0.057
261	0.534	300	0.308
262	0.129	301	0.125
263	0.214	302	0.040
264	0.198	303	0.097
265	0.521	304	0.849
266	0.713	305	0.109
267	0.328	306	0.749
268	0.235	307	0.134
269	0.312	308	0.129
270	0.332	309	0.028
271	0.105	310	0.178
272	0.194	311	0.012
273/1	0.332	312	0.061
273/2	0.667	313	0.348
274/1	0.425	314	0.279
274/2	0.615	315	0.441
275	0.146	316	0.214
276	0.150	317	0.299
277	0.045	318	0.339
278	0.223	319	0.190
279	0.247	320	0.146
280/1	0.100	321	0.246
280/2	0.208	322	0.012
281	0.028	323/1	0.170
282	0.069	323/2	0.008
283	0.057	324	0.069
284	0.121	325	0.182
285	0.101	326	0.279
286	0.093	327	1.052
287	0.093	328	0.223

(1)	(2)	अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—	
329	0.129		
330	0.150		
331	0.198		
332	0.008		
333	0.016		
334	0.117		
335	0.158		
336	0.061		
337	0.312		
341	1.485		
342	2.015		
343/1	1.706		
343/2	3.177		
343/3	1.900		
343/4	0.100		
343/6	0.200		
343/7	1.134		
343/8/1	0.270		
343/8/2	0.270		
344	1.000		
346	0.500		
350	0.105		
351	0.805		
352	0.963		
353	0.020		
354	0.777		
355	0.660		
345/1/4/2	0.500		
361/3	0.300		
362/2/3	0.100		
230/6	0.500		
योग : 92.163			
(2)	बरूआ नाला तालाब योजना के डूब क्षेत्र के लिए सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है.	खसरा नं.	रकबा (हे. में)
		(1)	(2)
		56/1	1.983
		56/6/8	1.600
		58 अ	0.777
		58 ब	0.777
		59/2/1	0.405
		59/2/7	0.405
		59/2/16	1.214
		59/2/3	0.809
		59/2/8	2.428
		59/2/15	0.809
		59/2/5	1.245
		59/2/14	0.162
		59/2/9	0.809
		59/2/6	1.749
		175/2	0.809
		175/2 घ	0.809
		175/2 ज	0.809
		175/2 च	0.760
		175/2 ङ	0.400
		176/257	1.323
		175/2	0.288
		177/1/2	2.600
		177/2/3	0.400
(3)	भूमि के नक्शे का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है.	59/2/4	0.405
		59/2/10	0.809
		योग : 24.584	

प्र. क्र. 10-अ-82-10-11-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन

(2) बरूआ नाला तालाब योजना के डूब क्षेत्र, बांध एवं बैस्ट वियर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है.

(3) भूमि के निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है. (1) (2)

प्र. क्र. 11-अ-82-10-11-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—टीकमगढ़

(ख) तहसील—पृथ्वीपुर

(ग) ग्राम—दुमदुमा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.066 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)		
(1)	(2)		
1	0.200	11	0.016
3	0.032	12	0.093
4	0.480	19	0.028
5	0.142	133	0.146
6	0.160	164	0.057
7	0.040	153	0.260
8	0.462	140	0.036
17	0.231	14	0.050
18	0.028	29	0.129
125	0.050	188	0.080
135	0.081	191	0.120
136	0.271	245	0.030
137	0.045	246	0.030
138	0.081		योग : 6.066
131	0.200		
132	0.050		
165	0.040		
166	0.336		
162	0.174		
163	0.024		
154	0.200		
141	0.223		
142	0.125		

(2) बरूआ नाला तालाब योजना के डूब क्षेत्र के लिए सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), निवाड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 12-अ-82-10-11-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के

अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—	(1)	(2)
अनुसूची	1163	0.040
(1) भूमि का विवरण—	1164	0.069
(क) जिला—टीकमगढ़	1165	0.012
(ख) तहसील—निवाड़ी	1166	0.004
(ग) ग्राम—राजापुर	1167	0.012
(घ) लगभग क्षेत्रफल—47.196 हेक्टर.	1168	0.093
खसरा	1169	0.045
नं.	1170	0.028
(1)	1171	0.146
रकबा (हे. में)	1172	0.061
(2)	1173	0.065
140/2/1/2 ख	1174	0.096
140/2/1/2 ग	1175	0.219
140/2/1/1	1176	0.182
140/2/1/2 क	1177	0.061
140/2/2	1178	0.040
137	1179	0.198
136	1180	0.134
1152	1181	0.190
1153	1182	0.020
1154	1183	0.008
1155	1184	0.012
1156	1185	0.020
1157	1186	0.012
1158	1187	0.170
1142/2	1188	0.069
1143	1189	0.174
1146	1190	0.109
1147	1191	0.032
1148	1192	0.174
1149	1193	0.405
1150	1194	0.231
1151	1195	0.073
1159	1196	0.097
1160	1197	0.073
1161	1198	0.097
1162	1199	0.081

(1)	(2)	(1)	(2)
1200	0.061	1236	0.214
1201	0.057	1237	0.061
1202	0.049	1238	0.085
1203	0.073	1239	0.065
1204	0.052	1240	0.089
1205	0.012	1241	0.093
1206	0.016	1242	0.162
1207	0.077	1243	0.073
1208	0.057	1244	0.077
1209	0.053	1245	0.061
1210	0.020	1246	0.069
1211	0.016	1247	0.061
1212	0.061	1248	0.061
1213	0.016	1249	0.077
1214	0.085	1250	0.056
1215	0.057	1251	0.134
1216	0.060	1252	0.139
1217	0.024	1253	0.036
1218	0.138	1254	0.040
1219	0.049	1255	0.101
1220	0.057	1256	0.182
1221	0.101	1257	0.045
1222	0.065	1258	0.020
1223	0.057	1259	0.020
1224	0.044	1260	0.097
1225	0.020	1261	0.012
1226	0.024	1262	0.081
1227	0.053	1263	0.040
1228	0.057	1264	0.040
1229	0.065	1265	0.145
1230	0.283	1266	0.012
1231	0.125	1267	0.004
1232	0.061	1268	0.109
1233	0.057	1269	0.028
1234	0.032	1270	0.049
1235	0.045	1271	0.056

(1)	(2)	(1)	(2)
1272	0.081	1310	0.008
1273	0.049	1311	0.012
1274	0.045	1312	0.040
1275	0.089	1314	0.668
1276	0.425	1315	0.121
1277	0.081	1316	0.166
1278	0.012	1313	0.073
1279	0.020	1317	0.045
1280	0.057	1318	0.081
1281	0.057	1319	0.036
1282	0.045	1320	0.060
1283	0.024	1321	0.024
1284	0.004	1322	0.032
1285	0.008	1323/2	1.800
1286	0.012	1323/1/1	0.100
1287	0.025	1323/1/4	0.800
1288	0.008	1324/1	0.835
1289	0.008	1324/3/2	0.558
1290	0.004	1324/3/1	0.081
1291	0.004	1324/3/3	0.279
1292	0.061	1325/1	0.640
1293	0.012	1325/2	1.088
1294	0.028	1399	0.450
1295	0.024	1380	0.020
1296	0.032	1381	0.053
1297	0.093	1384	0.206
1300	0.433	1385	0.097
1301	0.044	1375	0.150
1302	0.482	138	0.028
1303	0.494	1144	0.077
1304	0.121	1145	0.101
1305	0.109	1140/1	0.725
1306	1.203	1329/2/1	0.700
1307	0.012	1329/2/2	1.000
1308	0.012	1329/3	0.100
1309	0.032	1329/1	1.500

(1)	(2)	(1)	(2)
1325/2	1.088	1389	0.295
1330/1/6/1 क	1.800	1390	0.952
1326	0.275	1392	0.114
1327 ब	0.433	1393	0.429
1327/1	0.186	1394	0.069
1327/स	0.798	1395	0.200
1328	0.433	1396	0.312
1401	0.425	1397	0.275
1402	0.299	1404	0.142
1400	0.493	1405	0.138
1403	0.380	1406	0.105
1425	0.081	1407	0.101
1426	0.118	1408	0.085
1427	0.016	1409	0.097
1428	0.016	1410	0.244
1429	0.069	1411	0.150
1430	0.036	1412	0.097
1431	0.049	1413	0.105
1432	0.162	1414	0.020
1433	0.065	1415	0.024
1434	0.069	1416	0.016
1435	0.181	1417	0.186
1436	0.109	1418	0.166
1437	0.081	1419	0.093
1438	0.073	1420	0.134
1439	0.134	1421	0.182
1440	0.024	1422	0.061
1441	0.150	1424	0.069
1442	0.101		योग : <u>47.196</u>
1443	0.073	(2)	बरूआ नाला तालाब योजना के डूब क्षेत्र एवं बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है.
1445	0.057	(3)	भूमि के नक्शे का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है.
1368	0.400		मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
1369	0.170		अखिलेश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1386	0.143		
1387	0.113		
1388	0.040		

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	(1)	(2)
	70	0.34
शिवपुरी, दिनांक 12 मई 2011	73/1	0.43
	73/2	
क्र. क्यू-भू-अर्जन-664.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—	92	0.01
	94/1	0.69
	94/2	
	98	0.34
	101	0.23
	102	0.16
	103	0.11
अनुसूची	139/1	
(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय	139/2/1	1.14
(क) जिला—शिवपुरी	139/2/2	
(ख) तहसील—करैरा	141	0.45
(ग) नगर/ग्राम—सिलानगर	142	0.77
(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—18.28 हेक्टेयर	144	0.27
सर्वे नम्बर	145/1	0.03
	145/2	0.10
(1)	145/3	0.41
11	146/2	0.11
13	147	0.07
15	1515	0.26
16	1516	0.31
17	1517	0.23
18	1519 मिन	
19	1519 मिन	
33	1519 मिन	1.62
36/1	1519 मिन	
36/2	1519 मिन	
37	1524	0.35
57	1525	0.50
59/1	1686	0.10
59/2	1687	0.58
60	1688	0.19
143	1689	0.28
140	1849	0.01
69/1	1850	0.15
69/2	1853	0.30
69/3	1863	0.05

(1)	(2)	भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—	
1864	0.56		
1865	0.51		
1866	0.04		
1867	0.29		
1868/1		अनुसूची	
1868/2	0.79	(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय	
1868/3		(क) जिला—शिवपुरी	
1868/4		(ख) तहसील—नरवर	
1870	0.06	(ग) नगर/ग्राम—मिहावरा	
1871	0.39	(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—3.58 हेक्टेयर	
1872	0.02		
1873	0.17	सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
1874	0.40	(1)	(2)
1878	0.42	516	0.06
1879	0.32	95	0.06
1883	0.44	532	0.02
1884/1		519	0.05
1884/2	0.42	524	0.03
1884/3		509	0.04
1884/4		508	0.14
1898/1		89/1	0.06
1898/2	0.25	89/2	
1898/3		90	0.02
1898/4		91	0.12
1899/1		102	0.04
1899/2	0.13	103	0.02
1899/3		106	0.07
1899/4		107	0.07
1912	0.02	109	0.02
1914	0.03	110	0.07
<u>कुल रकबा . . . 18.28</u>		141	0.18
		157	0.11
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत उकायला उच्च स्तरीय नहर के निर्माण कार्य बाबत.		138	0.07
		113	0.04
		114	0.01
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का विवरण भू-अर्जन अधिकारी तहसील करैरा कार्यालय में देखा जा सकता है.		115	0.07
		136	0.09
क्र. क्यू-भू-अर्जन-665.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित		130	0.07
		118	0.13

(1)	(2)	(1)	(2)
120	0.03	1421/2	0.02
255	0.02	1422/2	0.01
425	0.01	1423/2	0.03
427	0.01	119	0.04
964	0.05	128	0.19
423	0.07	129	0.21
407	0.01	कुल रकबा . . . 3.58	
408	0.03		
966	0.02	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सिंध परियोजना दोआब नहर की 9 एल शाखा की मिहावरा 2 एल सब-माइनर का निर्माण कार्य बाबत्.	
971	0.01	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का विवरण भू-अर्जन अधिकारी तहसील करैरा कार्यालय में देखा जा सकता है.	
974	0.02		
983	0.02		
972	0.02		
975	0.02		
1282/1	0.06	क्र. क्यू-भू-अर्जन-666.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—	
1282/3			
96	0.05	अनुसूची	
98	0.04	(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय	
100	0.04	(क) जिला—शिवपुरी	
135	0.02	(ख) तहसील—नरवर	
982	0.03	(ग) नगर/ग्राम—हतेड़ा	
1301	0.08	(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—2.00 हेक्टेयर	
1303	0.07		
1346	0.05		
1377	0.13		
1376	0.01		
1379	0.02		
1380	0.14	सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
1385/1		(1)	(2)
1385/2	0.13	222	0.01
1385/3		226	0.05
1384/1	0.05	227	0.07
1384/2		231	0.34
521	0.02	233	0.10
1421/1	0.02	235/1	0.40
1422/1	0.01	240	0.12
1423/1	0.01	245	0.18
1498/1	0.07	1407	0.06
522	0.03	1409	0.08

(1)	(2)	(1)	(2)
1411	0.15	66/1	0.03
1443	0.21	66/2	0.06
1442	0.05	84	0.03
1446/1		186	0.08
1446/2	0.03	85	0.03
1446/3		68	0.09
1446/4		71	0.02
1444/2	0.04	83	0.02
1445	0.11	179	0.04
कुल रकबा . . 2.00		180	0.10
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सिंध परियोजना के अन्तर्गत दोआब नहर की 9 एल शाखा की हतेड़ा सब-माइनर का निर्माण कार्य बाबत्.		181	0.01
		183	0.34
		182	0.04
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का विवरण भू-अर्जन अधिकारी तहसील करैरा कार्यालय में देखा जा सकता है.		197	0.03
		185	0.35
		198/1/1	0.35
क्र. क्यू-भू-अर्जन-667.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		201/1	0.04
		198/2/1	0.03
		198/2/2	0.01
		198/3	0.07
		198/2/4	0.21
		223	0.12
		235	0.02
		200/2	0.03
(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय		229/1	0.30
(क) जिला—शिवपुरी		230/1	0.04
(ख) तहसील—नरवर		234/2	0.02
(ग) नगर/ग्राम—पनघटा			
(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—3.01 हेक्टेयर			
		कुल रकबा . . 3.01	
सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सिंध परियोजना दोआब नहर की पनघटा सब-माइनर का निर्माण कार्य बाबत्.	
(1)	(2)	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का विवरण भू-अर्जन अधिकारी तहसील करैरा कार्यालय में देखा जा सकता है.	
50	0.13		
69	0.07		
70	0.03		
52	0.09		
54	0.15		
72	0.02		
62	0.01		
		क्र. क्यू-भू-अर्जन-668.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये	

आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय

- (क) जिला—शिवपुरी
(ख) तहसील—नरवर
(ग) नगर/ग्राम—विची
(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—2.48 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
49	0.01
54	0.02
97	0.03
209/1	0.07
209/2	0.03
211/1	0.03
211/2	0.11
216	0.04
351	0.13
217	0.04
218	0.08
219	0.11
220	0.06
224/2	0.10
225	0.01
226	0.05
306/2	0.10
306/5	0.21
329	0.13
330	0.08
341	0.15
344	0.45
348	0.02
349	0.42
कुल . . .	2.48

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सिंध परियोजना दोआब नहर की विची 8 आर माइनर की 2 एल सब-माइनर का निर्माण कार्य.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का विवरण भू-अर्जन अधिकारी तहसील करैस कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू-भू-अर्जन-669.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय

- (क) जिला—शिवपुरी
(ख) तहसील—नरवर
(ग) नगर/ग्राम—गागोनी
(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—2.25 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
331/3	0.40
331/2	0.33
476	0.06
515	0.02
522	0.01
521	0.02
516	0.04
517	0.01
519	0.03
520	0.02
457	0.06
462	0.01
461	0.03
458	0.03
459/1	0.10
460	0.10
403	0.02
406	0.02
459/2	0.04
455/1	0.03
500	0.02
502	0.04
503	0.04
504	0.03

(1)	(2)	(1)	(2)
495	0.02	14	0.12
541/1	0.02	13	0.23
541/2	0.02	26	0.04
544/1	0.07	111	0.10
544/2	0.08	113/1	0.23
544/771/1	0.09	113/2	0.08
455/771/2	0.12		कुल . . 1.34
545	0.08		
430	0.06		
646	0.14		
542	0.04		
	कुल . . 2.25		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सिंध परियोजना दोआब नहर की गागोनी 8 आर माइनर की 1 एल सब-माइनर का निर्माण कार्य.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का विवरण भू-अर्जन अधिकारी तहसील करैरा कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू-भू-अर्जन-670.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय

- (क) जिला—शिवपुरी
 (ख) तहसील—नरवर
 (ग) नगर/ग्राम—पुल्हा
 (घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—1.34 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
24	0.12
31	0.28
32	0.03
18	0.09
16	0.02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—दोआब नहर की उप नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का विवरण भू-अर्जन अधिकारी तहसील करैरा कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू-भू-अर्जन-671.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय

- (क) जिला—शिवपुरी
 (ख) तहसील—नरवर
 (ग) नगर/ग्राम—सीहोर
 (घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—1.71 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
167	0.03
170	0.12
183	0.06
184	0.08
186	0.07
187	0.02
168	0.01
181/3	0.01
200	0.03
254	0.09
255	0.20
278	0.18
302/1	0.02

(1)	(2)	(1)	(2)
256	0.01	1067	0.02
275	0.07	1261	0.04
276	0.08	1265	0.08
277	0.08	1263	0.01
286	0.06	1264	0.03
185	0.03	1266	0.05
190/1, 190/2	0.02	1292	0.04
188	0.08	1294	0.03
189/1, 189/2	0.19	1295	0.03
198	0.02	1296	0.02
199	0.02	1297	0.03
302/2	0.11	1298	0.05
284	0.02	1339	0.04
	<u>कुल . . 1.71</u>	1343	0.04
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सिंध परियोजना दोआब नहर ग्राम सीहोर की 8 आर. माइनर की 1 एल. सब-माइनर का निर्माण कार्य.		1481	0.05
		1344	0.01
		1345	0.17
		1398	0.02
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का विवरण भू-अर्जन अधिकारी तहसील करैरा कार्यालय में देखा जा सकता है.		1400	0.06
		1401/1	0.02
		1401/2	0.03
क्र. क्यू-भू-अर्जन-672.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		1416	0.02
		1409	0.04
		1399	0.08
		1410/1	0.03
		1411	0.04
		1412	0.03
		1413	0.02
		1414	0.02
		1415	0.03
(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय		1483	0.09
(क) जिला—शिवपुरी		1417	0.05
(ख) तहसील—नरवर		1465	0.03
(ग) नगर/ग्राम—सीहोर		1466	0.07
(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—2.34 हेक्टेयर.		1477	0.12
		1478	0.11
सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	1482	0.04
		1479	0.13
(1)	(2)	1484	0.04
1053	0.11		
1057	0.14		
1058	0.04		
1060	0.09		
1061	0.07		
1063	0.03		
			<u>योग . . 2.34</u>
		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सिंध परियोजना की दोआब नहर ग्राम सीहोर की 8 आर. शाखा टेल माइनर का निर्माण कार्य.	
		(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का विवरण भू-अर्जन अधिकारी तहसील करैरा कार्यालय में देखा जा सकता है.	

क्र. क्यू-भू-अर्जन-673.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय

(क) जिला—शिवपुरी

(ख) तहसील—नरवर

(ग) नगर/ग्राम—सीहोर

(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—4.03 हेक्टेयर

सर्वे नम्बर अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)	(2)
337	0.06
334	0.06
331	0.05
332	0.08
165	0.05
166	0.07
328	0.08
459	0.02
330/1	0.50
330/2	0.10
405/2	0.11
405/1/2	0.02
151	0.04
154	0.01
155	0.03
157	0.26
452	0.08
453	0.01
457	0.20
405/1/3	0.02
417	0.07
418	0.01
425	0.10
426	0.08
429	0.11
433	0.04
436/2	0.05

(1)	(2)
2644/2	0.07
434	0.08
2645	0.02
2672	0.08
2674	0.02
3899	0.04
3919	0.02
3920	0.07
3921/2	0.08
447	0.03
3921/4	0.15
3922	0.13
3931	0.16
3942	0.03
3943	0.15
3946	0.14
3947	0.04
3951	0.13
3952	0.02
3953	0.11
3955	0.15
योग . . 4.03	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सिंध परियोजना की दोआब नहर की सीहोर 8 आर. माइनर की 4 आर. सब-माइनर का निर्माण कार्य.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का विवरण भू-अर्जन अधिकारी तहसील करैरा कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू-भू-अर्जन-674.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय

(क) जिला—शिवपुरी

(ख) तहसील—नरवर

(ग) नगर/ग्राम—सीहोर

(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—2.45 हेक्टेयर

सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	(1)	(2)
		1533	0.02
		1534	0.02
(1)	(2)	1751	0.10
1299	0.01	1752	0.13
1300	0.05	1754	0.04
1301	0.02	1768	0.04
1302	0.08	1769	0.11
1321	0.01	1771	0.01
1322	0.02	1773	0.06
1323	0.03	1774	0.05
1324	0.04	1777	0.03
1325	0.06	1778	0.02
1328	0.05	1779	0.02
1329	0.01	1780/1	0.01
1338	0.02	1780/2	0.02
1339	0.01	1781	0.06
1353	0.02	1782/1	0.02
1354	0.03	1783	0.03
1360	0.02	1784	0.08
1361	0.04	1836	0.03
1363	0.02	1837	0.08
1364	0.04	1838	0.05
1365	0.02	1848	0.02
1366	0.02	1849	0.06
1369	0.01	1850	0.02
1507/1	0.05	1851	0.02
1507/2	0.07	1855	0.06
1509	0.04	1856	0.06
1510	0.03	1861	0.04
1515	0.09		योग . . 2.45
1517	0.03		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सिंध
1518	0.01		परियोजना की दोआब नहर ग्राम सीहोर की 8 आर. माइनर
1519	0.04		की 1 आर. सब-माइनर का निर्माण कार्य.
1520	0.02		(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का विवरण भू-अर्जन अधिकारी
1521	0.03		तहसील करैरा कार्यालय में देखा जा सकता है.
1526	0.02		
1527	0.01		क्र. क्यू-भू-अर्जन-675.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का
1528	0.06		समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित
1531	0.01		भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक

प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय

(क) जिला—शिवपुरी

(ख) तहसील—नरवर

(ग) नगर/ग्राम—बरोदा

(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—2.76 हेक्टेयर

सर्वे नम्बर

अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

161

0.01

234

0.02

182

0.04

238

0.02

334

0.02

338

0.07

337

0.05

183

0.01

241

0.12

295

0.01

162

0.04

293

0.07

298

0.02

328

0.02

163

0.03

232

0.02

172

0.05

270

0.02

294

0.04

166

0.02

231

0.16

296

0.02

167

0.04

178

0.13

235

0.02

267

0.04

268

0.04

(1)

(2)

269

0.05

299

0.05

168

0.03

169

0.02

170

0.01

174

0.01

233

0.02

180

0.04

179

0.02

236

0.04

327

0.30

237

0.03

198

0.13

226

0.38

329

0.08

243

0.05

245

0.20

246

0.02

196

0.02

197

0.05

200

0.04

297

0.02

योग . . . 2.76

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—दोआब नहर की 9 एल. शाखा की बरोदा सब-माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का विवरण भू-अर्जन अधिकारी तहसील करैरा कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू-भू-अर्जन-676.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय

(क) जिला—शिवपुरी

(ख) तहसील—नरवर

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 15 अप्रैल 2011

क्र. 2812-जि.भू.अ.-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—सिवनी
(ग) ग्राम—खैरीकला, प. ह. नं. 09
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.28 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
अशासकीय भूमि	
56/1	0.16
57/1	0.12
योग . .	<u>0.28</u>
शासकीय भूमि	
योग . .	<u>0.00</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बैनगंगा नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) सिवनी में किया जा सकता है.
- मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. कुलेश, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2011

क्र. 3-अ-82-09-10-भू-अर्जन-11.—संशोधित अधिसूचना
मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 16 अप्रैल 2011 में

अर्जित की जा रही भूमि के अंशभाग का प्रकाशन नहीं होने से पुनः प्रकाशन कराया जा रहा है चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—जबलपुर
(ख) तहसील—जबलपुर
(ग) ग्राम—खम्हरिया, प. ह. नं. 54
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.67 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
49/2	0.12
49/3	0.01
50	0.14
51	0.01
52	0.05
67	0.10
68/1	0.30
68/2	0.49
69	0.28
70	0.60
71	0.04
72	0.45
73	0.12
74	0.30
75/1	0.09
76	0.28
77	0.06
140	0.19
141	0.03
145/1	0.55
145/2	0.35
150	0.08
163	0.05
164	0.07
165/1	0.17
166	0.01
167	0.36
168	0.15

(1)	(2)
169	0.14
172/1	0.03
186	0.05
कुल योग . .	<u>5.67</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—गोंदिया जबलपुर छोटी रेल, लाईन बड़ी रेल लाईन परिवर्तित किये जाने हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जबलपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2011

प्र. क्र. 11-अ-82-10-11.—चूकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) एवं अधिनियम 68 सन् 1984 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—जबलपुर
(ख) तहसील—मझौली
(ग) ग्राम—चरगवां, प. ह. नं. 43, नं. ब. 222
(घ) लगभग क्षेत्रफल—(0.13 हेक्टेयर में निर्मित)
1 पक्का कुआं.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
178	(0.13 हेक्टेयर में निर्मित) 1 पक्का कुआं.
योग . .	<u>0.12</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—कुसमी वितरक नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, रा.अ.बा.लो.सा. परियोजना इकाई क्र. 2 बरगी हिल्स जबलपुर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 27 अप्रैल 2011

पत्र क्र. 1371-भू.अ.अ.-2011.—चूकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—दमोह
(ख) तहसील—जबेरा
(ग) नगर/ग्राम—कटंगी, प. ह. नं. 16
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.76 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
ग्राम—कटंगी (बांध)	
2	0.64
3	0.68
4	0.45
5	0.45
6	0.39
7 में से	0.10
8 में से	0.32
11	0.16
12	0.10
13/2 में से	0.30
30 में से	0.03
योग . .	<u>3.62</u>

ग्राम—कटंगी (नहर)

8 में से	0.09
9 में से	0.14
17 में से	0.12
18 में से	0.09
19/1 में से	0.04
19/2 में से	0.05
20 में से	0.09
26 में से	0.05
27/1 में से	0.03
27/2 में से	0.03

(1)	(2)	(1)	(2)	(3)
29/1 में से	0.03	44/2	1.72	0.24
29/2 में से	0.02	51/1	0.05	0.05
47 में से	0.03	52	0.13	0.13
50 में से	0.13	59/2	0.73	0.12
52 में से	0.03	योग . .	<u>5.60</u>	<u>0.66</u>
59 में से	0.17			
	योग . . 1.14			
	महायोग . . 4.76			

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—छोटी कटंगी जलाशय के बांध एवं नहर हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, तेन्दूखेड़ा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवानन्द दुबे, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 30 अप्रैल 2011

प्र. क्र. 3-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि रेल्वे लाइन के समानान्तर परिवर्तित नाले के निर्माण हेतु महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र मंडीदीप के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रायसेन
(ख) तहसील—गौहरगंज
(ग) ग्राम—मण्डदेहरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.66 एकड़.

ख.न.	कुल रकबा (एकड़ में)	अर्जित रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)
42/1	2.97	0.12

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है—रेल्वे लाइन के समानान्तर परिवर्तित नाले के निर्माण हेतु.

टीप.—भूमि का नक्शा (प्लान) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी, गौहरगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहन लाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 30 अप्रैल 2011

क्र. 747-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

भू-अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर के पत्र क्रमांक 208-5-कोर्ट-11, इन्दौर, दिनांक 7 मार्च 2011 से अधिनियम की धारा 17 (1) सह 17 (4) की अर्जेन्सी क्लॉज की अनुमति प्राप्त है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—बड़वाह
(ग) ग्राम—रूपाबेड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.478 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
11/4	1.056

(1)	(2)	(1)	(2)
16/1	0.348	219/4	0.017
17	0.526	221	0.591
18	0.077	226	0.036
19/1	0.301	228	0.040
24/4	0.170	229	0.033
योग . .	<u>2.478</u>	1	0.073
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बड़वाह-सनावद बायपास मार्ग निर्माण कार्य हेतु.		232	0.049
		235	0.125
		236	0.049
		238/1	0.073
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी बड़वाह तथा संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड, ओल्ड पलासिया, इन्दौर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.		238/2	0.073
		238/3	0.073
		239	0.214
		240	0.393
		241/2	0.008
		1	0.401
खरगोन, दिनांक 6 मई 2011		242/2 पैकी	0.030
क्र. 777-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.		219/3, 243	1.191
		245/1 पैकी	0.030
		245/2 पैकी	0.059
		246, 247	0.093
		248	0.061
		249	0.028
		250	0.105
		252/2, 253/1/2 पैकी	0.024
		253/2	0.049
		253/3	0.032
		254/1	0.061
		254/2	0.057
		256	0.065
		257	0.049
		258	0.049
		260/1	0.016
		260/2	0.016
(क) जिला—खरगोन		260/3	0.016
(ख) तहसील—महेश्वर		260/4	0.033
(ग) ग्राम—सुलगांव		261	0.061
(घ) लगभग क्षेत्रफल—12.177 हेक्टेयर.		262	0.024
		263	0.024
		264	0.061
खसरा नम्बर	अर्जनीय क्षेत्रफल	265/1	0.032
	(हेक्टर में)	265/2	0.036
(1)	(2)	267	0.041
219/2, 222	0.384	268	0.085

(1)	(2)
269	0.097
270	0.069
271	0.036
273	0.081
274/1	0.040
274/2	0.036
275	0.049
1	0.085
276	0.069
277	0.053
278	0.101
279	0.089
280	0.090
281	0.040
283	0.121
291	0.065
293	0.040
294	0.388
295, 313/11	0.032
297	0.053
300	0.109
301/1	0.036
301/2	0.018
302 पैकी	0.070
303/1	0.016
303/2	0.016
304	0.036
305/1	0.024
313/1/1/3	0.040
313/3	3.237
313/4	2.440
योग . .	12.177

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) 1. कलेक्टर, जिला खरगोन, 2. भू-अर्जन अधिकारी, महेश्वर जल विद्युत् परियोजना मण्डलेश्वर मुख्यालय, खरगोन, 3. कार्यपालन अभियंता (सिविल) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना/म.प्र.रा.वि.मं., मण्डलेश्वर, 4. महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 776-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

भू-अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर के पत्र क्रमांक 83-05-कोर्ट-11, इन्दौर दिनांक 20 जनवरी 2011 से अधिनियम की धारा 17 (1) सह 17 (4) की अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—महेश्वर
(ग) ग्राम—बहेगांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.785 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जनीय क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
190/1/1/1/4 ख	0.020
190/1/1/1/4 घ	0.020
190/1/1/1/5 पैकी	0.012
190/1/1/1/1/4	0.061
190/1/1/1/1/5 पैकी	0.010
190/1/1/1/1/1/3 पैकी	0.031
190/1/1/1/1/1/4	0.061
190/1/1/1/1/1/5	0.061
190/1/1/1/1/1/6	0.061
199	0.040
208	0.053
215/2 पैकी	0.032
220 पैकी	0.041
221/1	0.020
222	0.049
231	0.065
233	0.016
236/1	0.809
240	0.150
246/2	0.053
252	0.101
253/1	0.065
256/3	0.017
261	0.032

(1)	(2)
1	0.049
258/1	0.029
258/2	0.028
260/2	0.020
263	0.682
284	0.093
285	0.085
287	0.074
288	0.024
289	0.041
290	0.037
1	1.036
264	0.061
266/1	0.016
266/2	0.020
267	0.036
268	0.061
270	0.049
271	0.061
272	0.052
273	0.069
282	0.049
283	0.040
1	0.089
286	0.053
293/2,	0.020
294	0.081
1	0.101
298	0.753
300/2	0.081
302/1/1/2 पैकी	0.005
302/1/1/4 पैकी	0.005
302/1/1/3/1 पैकी	0.005
195/307	0.154
241	0.121
योग . .	4.785

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) 1. कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, 2. भू-अर्जन अधिकारी, महेश्वर जल विद्युत् परियोजना मण्डलेश्वर मुख्यालय, खरगोन, 3. कार्यपालन अभियंता (सिविल) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना/ म.प्र.रा.वि.मं., मण्डलेश्वर, 4. महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 4 मई 2011

क्र. क-3551-भू-अर्जन-2010-प्र.क्र. 05-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर
(ख) तहसील—बण्डा
(ग) ग्राम—मझगुंवा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.48 हेक्टर.

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
287	0.40
292	0.15
289/2	0.15
291	0.16
290	0.07
280/1	0.23
295/2	0.45
298	0.30
304/2	0.20
302	0.15
62/1	0.26
61	0.20
70	0.15
60	0.07
71/2	0.02
58/1	0.13
72	0.20
72/80	0.10
169	0.13
168/1	0.18
कुल योग . .	3.48

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—मंजला जलाशय योजना के नहर निर्माण का भू-अर्जन ग्राम मझगुवां.	(1)	(2)
	289	0.05
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 सागर, जिला सागर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.	292	0.05
	291	0.60
	307	0.15
	308	0.15
	309	0.10
सागर, दिनांक 5 मई 2011	311	0.15
	314/3	0.15
	313	0.08
क्र. क-3595-भू-अर्जन-2010-प्र.क्र. 02-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेख सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—	332	0.10
	335/1	0.10
	335/2	0.10
	336	0.15
	337	0.15
	401/1	0.15
	404	0.10
	405	0.10
	406	0.16
अनुसूची	409	0.25
(1) भूमि का वर्णन—	418	0.07
(क) जिला—सागर	420/1	0.16
(ख) तहसील—बण्डा	420/2	0.17
(ग) ग्राम—मंजला	420/3	0.01
(घ) लगभग क्षेत्रफल—14.10 हेक्टर.	422/3	0.07
सर्वे नं.	439	0.10
	रकबा	
	(हेक्टर में)	
(1)	(2)	
17	0.55	440/1
13	0.08	443
3	0.20	437
5	0.10	436
6	0.10	449/1
7	0.13	449/2
8	0.13	456
63/1	0.23	455/1
65	0.15	455/2
66	0.10	479
282/1	0.15	480
282/2	0.15	481
283	0.25	306
284/3	0.18	302
284/4	0.23	295
284/5	—	296
288	0.30	297
		298

(1)	(2)
65/2	1.020
50	0.624
63/4	0.405
88	0.041
135	0.255
49/1	0.231
92/1	0.101
49/2	0.202
92/2	0.202
61	0.368
87	0.129
91	0.032
136	0.255
कुल योग . . . 5.240	

(2) जिसके लिये आवश्यकता है—कोल बेड मिथेन प्रोजेक्ट हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जैतपुर, जिला शहडोल म. प्र. के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 9 मई 2011

क्र. 3784-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—चौरई

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-तुमड़ा, प.ह.नं. 07, ब.नं. 121, रा.नि.मंडल-चौरई.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—खसरा नं. 126/3-4, 126/5-6, 127/1 में पूर्व में अर्जित किया गया रकबा 0.591 हेक्टेयर में स्थित एक पक्का कुआं के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में) (2)
---------------------------------	--

126/3-4-, 126/5-6, 127/1	खसरा नं. 126/3-4, 126/5-6, 127/1 में पूर्व में अर्जित किया गया रकबा 0.591 हेक्टेयर में स्थित एक पक्का कुआं के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
--------------------------	--

योग . . . अधिग्रहण से छूटा हुआ 01 पक्का कुआ.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत एल.बी.सी. नहर निर्माण हेतु पूर्व में अर्जित की गई निजी भूमि खसरा नं. 126/3-4, 126/5-6, 127/1 में पूर्व में अर्जित किया गया रकबा 0.591 हेक्टेयर में स्थित अर्जन से छूटा हुआ एक पक्का कुआं का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग, चौरई जिला छिन्दवाड़ा में भी देखा जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग चौरई, जिला छिन्दवाड़ा में भी किया जा सकता है.

क्र. 3785-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत,

इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
 (ख) तहसील—चौरई
 (ग) नगर/ग्राम—ग्राम—लोहारा, प.ह.नं. 07, ब.नं. 263, रा.नि.मंडल—चौरई.
 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—खसरा नं. 23/1, 31/1, 32/1 में पूर्व में अर्जित किया गया रकबा 0.606 हेक्टेयर में स्थित एक कच्चा कुआं के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में) (2)
---------------------------------	--

23/1, 31/1, 32/1 खसरा नं. 23/1, 31/1, 32/1 में पूर्व में अर्जित किया गया रकबा 0.606 हेक्टेयर में स्थित एक कच्चा कुआं के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

योग . . अधिग्रहण से छूटा हुआ एक कच्चा कुआ.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत एल.बी.सी. नहर निर्माण हेतु पूर्व में अर्जित की गई निजी भूमि खसरा नं. 23/1, 31/1, 32/1 का पूर्व में अर्जित किया गया रकबा 0.606 हेक्टेयर में स्थित अर्जन से छूटा हुआ एक कच्चा कुआं का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग चौरई, जिला छिन्दवाड़ा में भी किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 9 मई 2011

क्र. 1404-भू-अर्जन-2010-राजस्व प्रकरण क्रमांक-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—झाबुआ
 (ख) तहसील—पेटलावद
 (ग) ग्राम—करड़ावद
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—10.29 हेक्टर.

सर्वे नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
116	0.37
117	0.12
119	0.01
240/1	0.05
240/2/1	0.05
240/2/2	0.05
240/3	0.12
240/4	0.06
240/6	0.05
241/1	0.05
241/2/1	0.05
241/2/2	0.05
241/4	0.05
241/5	0.05
241/6	0.10
241/7	0.05
244	0.05
245	0.27
247	0.03
264	0.05

(1)	(2)	(1)	(2)
279	0.25	1734	0.18
280/1	0.08	1749	0.17
280/2	0.08	1750	0.20
280/3	0.08	1752	0.02
280/7	0.08	1753	0.27
280/8	0.06	1754/1	0.05
282	0.06	1754/2	0.08
283	0.05	1755/2	0.05
284	0.11	1756/2	0.03
285	0.27	1907	0.15
286	0.15	2071	0.16
288	0.12	2072/1	0.05
309	0.18	2072/2	0.05
312/1	0.34	2132	0.12
1018	0.14	2133	0.12
1021	0.27	2135	0.05
1022	0.07	2136	0.05
1341/2	0.10	2143	0.17
1342	0.07	2148	0.37
1343	0.17	2285	0.05
1368	0.16	2286	0.05
1369	0.03	2883	0.08
1660	0.10	2884	0.10
1666	0.07	2885	0.10
1668	0.18	2886	0.14
1669	0.05	2887	0.20
1673	0.27	2888	0.25
1675	0.09	2906/1	0.05
1676	0.03	2906/2	0.05
1686	0.09	2906/3	0.05
1687	0.13	2906/4	0.05
1689	0.12	2907	0.14
1727	0.05	3362	0.15
1728	0.20		
1729	0.07		
1731	0.07		
1732	0.17		
1733	0.20		

कुल योग . . . 10.29

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—माही परियोजना की अजब-बोराली माईनर नहर निर्माण होने से ग्राम करड़ावद का कुल रकबा निजी भूमि 10.29 हेक्टेयर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शोभित जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 9 मई 2011

प्र. क्र. 18-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—छतरपुर

(ग) ग्राम—हिम्मतपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.546 हेक्टर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
11	0.320
12	0.186
13	0.024
14	0.142
15	0.012
16	0.129
17	0.053
18	0.081
19	0.275
20	0.150
57/3/ब	0.190
44	0.216
54	0.150
55	0.080
56	0.057
57/3 अ	0.192
58	0.983
68/2	0.800

(1)	(2)
59	0.700
76	0.563
60/2	0.240
69	1.160
71	0.190
65	0.025
70	0.032
72	0.640
74	0.960
75/1	0.200
75/2	0.101
75/3	0.320
75/4	0.200
78	0.175
योग . .	<u>9.546</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—गौंची तालाब भराव हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 19-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—छतरपुर

(ग) ग्राम—गौंची

(घ) लगभग क्षेत्रफल—25.614 हेक्टर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
406	0.100
428/2	0.127

(1)	(2)	(1)	(2)
429	0.065	469	0.223
430	0.069	470	0.036
431	0.069	471	0.061
432	0.069	472	0.016
433	0.174	473	0.202
434	0.202	474	0.243
435	0.024	475	0.065
436	0.166	476	0.210
437	0.178	477	0.138
438	0.109	478	0.405
439	0.101	479	0.190
440	0.024	480	0.081
441	0.085	481	0.526
446	0.100	499	0.458
447	0.105	500	0.441
448	0.120	501	0.121
449	0.138	502	0.040
450	0.121	504	0.158
451	0.125	505	0.214
452	0.170	506	0.012
453	0.024	507	0.170
454	0.263	508	0.101
455	0.101	509	0.045
456	0.775	510	0.105
457	0.077	511	0.057
458	0.158	512	0.194
459	0.077	513	0.081
460	0.376	516	0.183
461	0.194	517	0.085
575	1.060	573	0.417
379	0.240	574	0.085
462	0.534	774	0.198
463	0.441	762	0.186
464	0.061	764/2	0.101
465	0.028	483	0.295
466	0.024	485	0.267
467	0.077	486	0.061
468	0.320	487	0.219

(1)	(2)	(1)	(2)
524	0.360	784	0.024
488	0.255	785	0.080
489	0.600	571	0.112
490	1.064	572	0.252
491	0.243	378	0.200
492	0.158	205	0.176
493	0.308	361	0.120
494	0.093	366	0.072
495	0.672	364	0.156
496	0.020	350	0.016
497	0.053	349	0.240
498	0.113	348	0.017
755	0.174	347	0.096
756	0.235	260	0.080
757	0.458	259	0.432
758	0.065	270	0.080
759	0.146	267	0.080
760	0.434	269	0.056
761	0.100	268	0.048
764/1	0.101	243	0.024
514	0.036	245	0.040
515	0.372	249	0.056
518	0.004	264	0.017
519	0.115	263	0.160
520	0.016	253	0.008
521	0.227	528	0.125
522	0.127	527	0.040
576/5	0.300	368	0.100
661	0.138		योग . . 25.614
662/3	0.150		
663	0.287	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—गौंची तालाब भराव एवं नहर हेतु.
769	0.540		
770	0.012	(3)	भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
771	0.160		
772	0.100		
773	0.125		
776	0.045		
782	0.340		

प्र. क्र. 21-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक

प्रयोजन के लिए की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—छतरपुर
(ग) ग्राम—मातगुंवा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.142 हेक्टर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
541	0.088
545	0.192
549	0.112
550	0.072
551	0.168
546	0.132
552/2	0.048
554/1	0.216
562	0.104
565/2	0.260
565/4	0.180
565/3	0.080
563	0.048
623	0.140
626/5/1/1	0.116
626/5/1/2	0.166
540	0.070

योग . . . 2.142

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—गौंची तालाब नहर हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छतरपुर, दिनांक 11 मई 2011

क्र. 14-अ-82-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित

सार्वजनिक प्रयोजन के लिए की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—छतरपुर
(ग) नगर/ग्राम—खैरों
(घ) लगभग क्षेत्रफल—10.563 हेक्टेयर.

निजी भूमि

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
5/1	0.018
11	0.038
24	0.152
25	0.035
51/2	0.094
52	0.084
56	0.117
57	0.061
59	0.080
62	0.047
63	0.010
64	0.094
77	0.128
79/2/2	0.046
80/2	0.206
81/1	0.330
81/2	0.215
88/1	0.123
90/1	0.207
90/2	0.015
91/1	0.164
100	0.092
101	0.024
106	0.092
107/1	0.110
107/2	0.093
108	0.018
109	0.180
111	0.094
112	0.089
113	0.094

(1)	(2)	(1)	(2)
114	0.207	484	0.053
116	0.028	539	0.179
117	0.014	550	0.082
125/1	0.032	551/1	0.308
125/2	0.032	554	0.510
206	0.206	723	0.020
208	0.025	725	0.012
211	0.174	726	0.016
222	0.270	729	0.140
226	0.174	732	0.063
254	0.459	735	0.085
265	0.092	739	0.140
278/1	0.190	740/2	0.061
278/2	0.126	1574	0.122
279	0.050		योग . . . <u>10.563</u>
280	0.050		
292	0.038		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मामौन तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु.
294/1	0.130		
294/2	0.184		(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
297	0.025		
298	0.102		
319	0.249		मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
327	0.146		राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
328	0.019		
329	0.070		
336	0.016		
337	0.082		कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
339	0.120		
353	0.160		
355/2	0.120		बुरहानपुर, दिनांक 11 मई 2011
358 अ	0.291		
376/2	0.031		
376/3	0.025		
377	0.219		रा. प्र. क्र. 04-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—
384	0.015		
385	0.114		
386/1	0.010		
386/2	0.151		
390	0.269		
391	0.047		
393	0.010		अनुसूची
394	0.095		(1) भूमि का वर्णन—
457/1	0.088		(क) जिला—बुरहानपुर
467	0.104		(ख) तहसील—नेपानगर
468/1	0.327		
483	0.236		

(ग) ग्राम—धुलकोट

(ग) नगर/ग्राम—केदारखेड़ा, प. ह. नं. 07

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.37 हेक्टेयर.

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.680 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)	खसरा न.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(1)	(2)
1071	0.50	224	0.210
1066	0.31	126/1	0.020
1062	0.58	141/1	0.160
1046	0.30	141/2	0.120
1061/2	0.68	141/3	0.170
	योग . . 2.37		योग . . 0.680

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—कुम्हार नाला तालाब योजना (शीर्ष कार्य का अतिरिक्त भू-अर्जन) में प्रभावित अतिरिक्त रकबा का भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—रमलीसावरिया जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, नेपालनगर/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बुरहानपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला बैतूल एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, बैतूल में भी देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेनु पन्त, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 12 मई 2011

प्र.क्र. 7अ-82-वर्ष 2010-11-भू-अर्जन-3467.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल

(ख) तहसील—आमला

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल

(ख) तहसील—आमला

(ग) नगर/ग्राम—रमली, प. ह. नं. 06/14

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.010 हेक्टर.

खसरा नं.

(1)

263/5

रकबा

(हे. में)

(2)

0.140

(1)	(2)	1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—	
262	0.050		
261	0.020		
269	0.240	अनुसूची	
273	0.260	(1) भूमि का वर्णन—	
278	0.140	(क) जिला—बैतूल	
279	0.130	(ख) तहसील—आमला	
280	0.080	(ग) नगर/ग्राम—कमली, प. ह. नं. 06/13	
275/2	0.160	(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.801 हेक्टर.	
226/2	0.080	खसरा न.	रकबा
209/1	0.160	(1)	(2)
209/2	0.010	35	0.135
80	0.100	17/2	0.100
79/2	0.100	19	0.026
77/3	0.130	15/1	0.040
77/1	0.130	15/2	0.050
61/1	0.030	21	0.120
79/5	0.050	22	0.110
		25	0.090
		27	0.040
		26/1	0.080
		17/3	0.010
		योग . .	0.801

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—रमलीसावरिया जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला बैतूल एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, बैतूल में भी देखा जा सकता है.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—रमलीसावरिया जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला बैतूल एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, बैतूल में भी देखा जा सकता है.

प्र.क्र. 9अ-82-वर्ष 2010-11-भू-अर्जन-3468.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम,

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय आनंद कुरील, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 13 मई 2011

भू-अर्जन- प्र.क्र. 44-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—पुनासा
(ग) ग्राम—बीड़
(घ) अर्जनीय रकबा—1.13 हेक्टेयर

खसरा नंबर	अर्जनीय रकबा (हे. में)	परिसम्पत्ति
(1)	(2)	(3)
159	0.05	निरंक
160	0.36	कच्चा कुंआ-1
161	0.26	निरंक
162	0.22	निरंक
165	0.24	निरंक
योग . . .		1.13

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना 2 × 600 मे. वा. म. प्र.पा.ज.क.लि., खण्डवा के लिये सुरगांव बंजारी से बीड़ के बीच रेल परिवहन मार्ग के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल) एक मालवा ताप विद्युत् परियोजना, म.प्र.पा.ज.कं.लि., खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन- प्र.क्र. 45-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह

घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—पुनासा
(ग) ग्राम—कोडियाखेड़ा
(घ) अर्जित रकबा—2.99 हेक्टेयर

खसरा नंबर	अर्जनीय रकबा (हे. में)	परिसम्पत्ति
(1)	(2)	(3)
3/2	0.46	पा. लाईन, महुआ-1
5/1	0.35	खैर-3
5/3	0.05	निरंक
12/1	0.47	सागौन-6, बेर-1
12/4	0.49	बेर-1
13	0.14	निरंक
14	0.06	निरंक
15	0.13	निरंक
16	0.12	निरंक
17	0.38	निरंक
18	0.34	निरंक
योग . . .		2.99

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना 2 × 600 मे. वा. म. प्र.पा.ज.क.लि., खण्डवा के लिये सुरगांव बंजारी से बीड़ के बीच रेल परिवहन मार्ग के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल) एक मालवा ताप विद्युत् परियोजना, म.प्र.पा.ज.कं.लि., खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन- प्र.क्र. 46-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खण्डवा

(ख) तहसील—पुनासा	(1)	(2)	(3)
(ग) ग्राम—गोराड़िया	718/2	0.45	पा. लाईन
(घ) अर्जनीय रकबा—13.72 हेक्टेयर	718/3	0.38	निरंक
खसरा	718/4	0.40	कच्चा कुँआ-1,
नंबर			पा.लाईन, बेर-3, आम-3
(1)	(2)	(3)	निरंक
104	0.34	निरंक	719 0.27 निरंक
105	0.12	निरंक	720/1 0.38 निरंक
106/2	0.02	निरंक	720/2 0.22 निरंक
152	0.33	बेर-1	720/3 0.22 निरंक
153	0.42	कच्चा मकान-1, हौज,	721/1 0.32 निरंक
		पा.लाईन, बेर-3	721/2 0.22 निरंक
154	0.45	निरंक	722/1 0.72 पा. लाईन
156	0.58	महुआ-1, बेर-1, नीबू-1	154/776 0.57 निरंक
157	0.50	निरंक	155/777 0.35 निरंक
158/1	0.10	निरंक	योग . . 13.72
158/2	0.25	निरंक	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता
159	0.40	पा.लाईन, बेर-7	है—श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना 2 × 600 मे. वा.
160	0.33	पा.लाईन	म. प्र.पा.ज.क.लि., खण्डवा के लिये सुरगांव बंजारी से
161	0.15	निरंक	बीड़ के बीच रेल परिवहन मार्ग के निर्माण हेतु.
177	0.38	पा.लाईन	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी
178/1	0.03	निरंक	एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता
178/2	0.07	निरंक	(सिविल) एक मालवा ताप विद्युत् परियोजना,
178/3	0.03	निरंक	म.प्र.पा.ज.कं.लि., खण्डवा के कार्यालय में किया जा
178/4	0.03	कच्चा कुँआ-1	सकता है.
179/1	0.11	पक्का कुँआ-1.	
		पा. लाईन, बेर-1	भू-अर्जन- प्र.क्र. 47-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को
179/2	0.24	निरंक	इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)
468/2	0.17	निरंक	में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक
468/2(क)	0.38	पक्का कुँआ-1, पा.लाईन,	प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894
		बेर-1, सुरजना	(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह
473	0.04	निरंक	घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये
474	0.10	निरंक	आवश्यकता है:—
476	0.48	निरंक	
601	0.06	कच्चा कुँआ-1, आम-1	अनुसूची
697	0.75	पक्का कुँआ-1, पा. लाईन,	(1) भूमि का वर्णन—
		बेर-1	(क) जिला—खण्डवा
699	0.11	निरंक	(ख) तहसील—खण्डवा
700	0.07	निरंक	(ग) ग्राम—भैसावा
702	0.25	निरंक	(घ) अर्जनीय रकबा—15.95 हेक्टेयर
703	0.02	निरंक	
704/1	0.33	निरंक	खसरा अर्जनीय रकबा परिसम्पत्ति
704/5	0.36	महुआ-1	नंबर (हे. में)
704/6	0.46	निरंक	(1) (2) (3)
707	0.25	कच्चा कुँआ-1	440 0.09 निरंक
718/1	0.31	पा. लाईन	510 0.20 निरंक

(1)	(2)	(3)	घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		
511	0.05	निरंक	अनुसूची		
512	0.33	निरंक			
513/2	0.75	निरंक	(1) भूमि का वर्णन—		
530	0.02	निरंक	(क) जिला—खण्डवा		
532/1	0.77	निरंक	(ख) तहसील—पुनासा		
532/2	0.69	कच्चा कुँआ-1, नीम-1	(ग) ग्राम—सहेजला		
533/1	0.75	निरंक	(घ) अर्जनीय रकबा—17.61 हेक्टेयर		
533/2	0.12	निरंक	खसरा	अर्जनीय रकबा	परिसम्पत्ति
534/1	0.74	निरंक	नंबर	(हे. में)	
534/2	0.21	निरंक	(1)	(2)	(3)
548/1	0.20	निरंक	196/1	0.35	पा. लाईन
549/2	0.99	निरंक	197	0.21	पा. लाईन
549/3	0.26	निरंक	198	0.26	पा. लाईन
551	0.72	निरंक	199	0.29	पा. लाईन
552	0.68	निरंक	200	0.49	पा. लाईन
554	0.45	निरंक	201/4	0.17	पा. लाईन
562	0.73	महुआ-1, बेर-1	207	0.38	नीम-1
566	2.07	कच्चा कुँआ-1, इमारती-2, बेर-6, आम-1, महुआ-1, खैर-1, सिसम-1	233	0.70	पा. लाईन
568/1	0.22	महुआ-1	234	0.62	नीम-3
675	0.97	निरंक	235	0.25	कच्चा कुआं-1
676	0.90	कच्चा कुँआ-1	257	0.12	नीम-1
683	1.52	निरंक	265	0.12	निरंक
685	0.05	निरंक	266	0.35	बबूल-3
686	0.87	नीम-1	268	0.10	निरंक
687/1	0.60	निरंक	269	0.06	निरंक
योग . .	15.95		289	0.26	पक्का कुआं-1
			290	0.38	निरंक
			293/1	0.11	निरंक
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना 2 × 600 मे. वा. म. प्र.पा.ज.क.लि., खण्डवा के लिये सुरगांव बंजारी से बोड़ के बीच रेल परिवहन मार्ग के निर्माण हेतु,			293/2	0.11	निरंक
			293/3	0.13	निरंक
			293/4	0.12	निरंक
			295	0.04	निरंक
			296	0.49	निरंक
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल) एक मालवा ताप विद्युत् परियोजना, म.प्र.पा.ज.क.लि., खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.			297	0.42	निरंक
			298	0.08	निरंक
			299	0.10	निरंक
			300	0.09	पक्का कुआं-1
			301	0.08	निरंक
			302	0.22	पक्का कुआं-1
			303	0.03	निरंक
भू-अर्जन- प्र.क्र. 48-अ-82-10-11.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह			310	0.03	निरंक
			514/1	0.08	ट्यूबवेल-1, पा. लाईन
			514/2	0.15	पा. लाईन
			514/3	0.14	मकान-1, टीन शेड, पा. लाईन
			514/4	0.10	पा. लाईन

(1)	(2)	(3)
514/5	0.12	पाईप लाईन
514/7	0.35	पक्का मकान-1, टीन शेड, ट्यूबवेल-1
514/8	0.05	पा. लाईन
514/9	0.04	पा. लाईन
514/10	0.06	पा. लाईन
514/11	0.03	निरंक
514/12	0.03	निरंक
521/2	0.48	निरंक
521/3	0.20	पक्का मकान-1, टीन शेड
521/4	0.06	निरंक
521/5	0.37	निरंक
521/6	0.10	निरंक
521/7	0.03	निरंक
521/8	0.02	निरंक
521/9	0.04	निरंक
522/1	0.16	निरंक
522/2	0.25	निरंक
522/3	0.20	निरंक
523	0.14	निरंक
524	0.15	निरंक
531	0.01	निरंक
532/1	0.24	निरंक
532/2	0.07	निरंक
532/3	0.31	निरंक
533/2	0.03	निरंक
533/3	0.17	निरंक
621	2.40	महुआ-1
622/1	0.20	निरंक
622/2	0.83	पक्का कुआं-1, आम-4
638	0.34	निरंक
639	0.06	निरंक
640	0.53	बेर-1, सेमल-3, पलास-1
641/1	0.21	निरंक
641/2	0.20	निरंक
642/1	0.06	निरंक
642/2	0.17	निरंक
643	0.02	निरंक
644/1	0.79	निरंक
644/2	0.10	निरंक
664	0.36	निरंक
योग . .	17.61	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना 2 × 600 मे. वा. म. प्र.पा.ज.क.लि., खण्डवा के लिये सुरगांव बंजारी से बोड़ के बीच रेल परिवहन मार्ग के निर्माण हेतु,

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल) एक मालवा ताप विद्युत् परियोजना, म.प्र.पा.ज.क.लि., खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 16 मई 2011

क्र. 4754-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—बदनावर
(ग) ग्राम—संदला
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.856 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
(हेक्टर में)

(1) (2)

2184/1/1/1 0.045

2172/1/1 0.055

2174 0.085

2175 0.085

2209/2/2 0.040

2210/2 0.042

2211 0.035

2214 0.035

2212 0.040

2215/2 0.032

2215/1 0.016

(1)	(2)	(1)	(2)
2219	0.056	2272/3/1	0.020
2226/2/1	0.040	1673/2	0.045
2226/1	0.035	1821	0.092
2228/2	0.100	1910	0.008
2229	0.100	1928	0.090
2252/2/2	0.028	1929	0.075
2252/2/1	0.030	1930/1/1	0.075
2272/2	0.070	1934/1	0.015
1850/4/1	0.074	1937	0.044
1850/2/1	0.074	1811	0.115
1850/1/1	0.037	1729	0.095
1841/1	0.165	1728/1	0.035
1840/2	0.128	1728/2	0.040
1840/1	0.068	1702	0.080
1833	0.075	1703/2	0.032
1691/1/3	0.120	1703/1/2	0.070
1696/1	0.075	1220/1/1	0.140
1697	0.064	1214/2/2/2	0.165
1696/2	0.060	1214/2/2/1	0.040
1699	0.040	1212/2/2	0.040
1828	0.030	1212/2/1	0.050
1827	0.028	1212/1	0.030
1826	0.035	2272/3/2	0.070
1825	0.036	1673/3	0.115
1822	0.020	कुल योग . .	<u>4.856</u>
2252/1/3	0.019		
2252/1/2	0.019	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बागेड़ी तालाब की उप नहर निर्माण में प्रभावित होने से.	
2252/1/1	0.019	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी मनावर तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.	
2253/1/2	0.018		
2253/2/1	0.040		
2253/2/2	0.018		
2253/3	0.070		
2253/1/1	0.028		
2254	0.065		
1678	0.080		
2271	0.160		
2274/1	0.070		
2280/1	0.140		
2283	0.070		
2303	0.024		
2298	0.068		
1679	0.085		
1673/1	0.045		
1673/4	0.035		
2272/1	0.048		

क्र. 4759-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
 (क) जिला—धार
 (ख) तहसील—बदनावर

(ग) ग्राम—चन्दवाड़ियाकला		(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.481 हेक्टर.		34	0.032
सर्वे नं. निजी	अर्जित रकबा	35	0.032
	(हेक्टर में)	36/2/2	0.096
(1)	(2)	कुल योग . . . <u>0.272</u>	
12/2	0.032	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बागोड़ी तालाब की उप नहर निर्माण में प्रभावित होने से.
16/3/2/2	0.057	(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बदनावर तथा कार्यपालन यंत्रि जल संसाधन विभाग परियोजना संभाग क्रमांक 01 जिला-धार धार में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
18/1	0.024		
41/1	0.048		
42/2	0.008		
42	0.048		
67/1/1	0.020		
38/1/2	0.032		
39	0.064		
31/1	0.064		
32	0.052		
94/2/1	0.032		
कुल योग . . .	<u>0.481</u>		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बागोड़ी तालाब की उप नहर निर्माण से प्रभावित होने से.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बदनावर तथा कार्यपालन यंत्रि जल संसाधन विभाग परियोजना संभाग क्रमांक 01 जिला-धार धार में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 4764भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—बदनावर
(ग) ग्राम—चन्दवाड़ियाखुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.272 हेक्टर.

सर्वे नं. निजी	अर्जित रकबा
	(हेक्टर में)
(1)	(2)
33	0.112

क्र. 4769भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—बदनावर
(ग) ग्राम—छायन
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.864 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
	(हेक्टर में)
(1)	(2)
46/1	0.048
46/2	0.040
48	0.008
50	0.044
78	0.089
85	0.020
86	0.040
79	0.008
146	0.006
87	0.097
118	0.040
119	0.072
120	0.006
149	0.004

(1)	(2)
427/2	0.016
150	0.048
154/2	0.008
154/3	0.024
154/4	0.016
154/5	0.024
156	0.056
212	0.025
214/1	0.024
214/2	0.056
215/1	0.020
215/2	0.025
कुल योग . .	<u>0.864</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बागेड़ी तालाब की लघु नहर निर्माण में प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बदनावर तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 01 जिला-धार, धार में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

धार, दिनांक 18 मई 2011

क्र. 4831भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—मनावर
(ग) ग्राम—बन्जारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.098 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
54	0.050
55	0.020
146/3	0.028
कुल योग . .	<u>0.098</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—मण्डावती तालाब योजनान्तर्गत मायनर नहर निर्माण में प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी मनावर तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 01 जिला-धार, धार के कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 16 मई 2011

क्र. 811-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—रामपुर नैकिन
(ग) नगर/ग्राम—भितरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल —6.00 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)

(अ) निजी भूमि का विवरण

173/1, 173/2	0.04
174	0.02
175	0.05
176	0.07
183	0.06
184	0.03
190	0.03

(1)	(2)	(1)	(2)
191	0.04	465	0.01
192/1, 192/2	0.03	466	0.03
262	0.05	467	0.028
263	0.01	468	0.01
264	0.02	469	0.04
265	0.04	470	0.02
266	0.03	472	0.01
267	0.04	1839	0.02
270/1, 270/2	0.04	1841	0.11
271	0.02	1842	0.05
272	0.01	1843	0.04
301/1, 301/2, 301/3	0.03	1844	0.03
301/4, 301/5		1845	0.07
302	0.01	1848	0.19
303	0.08	1854	0.03
304	0.02	1855/1, 1855/2	0.01
305/1/1, 305/2/1	0.05	1890	0.02
306	0.02	1891	0.07
307	0.01	1893	0.04
308	0.04	1894	0.03
309/1, 309/2	0.073	1898	0.04
312	0.01	1899	0.03
313/1, 313/2	0.02	1900	0.02
315	0.05	1901	0.08
316	0.06	1902	0.02
317/1, 317/2	0.02	1903	0.04
324	0.05	1914	0.07
325	0.02	1921	0.07
352	0.04	1922	0.01
353/1, 353/2	0.03	1923	0.03
354	0.03	1924	0.04
355	0.03	1925	0.01
364	0.14	1935	0.06
365	0.07	1936	0.03
367	0.08	1953	0.01
368	0.04	1954	0.049
433	0.03	1955	0.03
434	0.06	1956	0.03
435	0.03	1957	0.01
438	0.02	1960	0.13
439	0.04	1962	0.03
440	0.02	1963	0.04
441	0.01	1967	0.03
464	0.01	1968	0.04
		1969	0.04

(1)	(2)	(1)	(2)
1970	0.02	2389/1, 2389/2, 2389/3	0.03
1971	0.02	2390/1, 2390/2	0.04
1972	0.07	2392/1, 2392/2, 2392/3	0.01
1973	0.02	2393/1, 2393/2, 2393/3	0.03
1976/1, 1976/2	0.06	2394/1, 2394/2, 2394/3	0.04
1978/1, 1978/2	0.01	2395	0.02
1979/1, 1979/2	0.05	2406	0.06
1981/1, 1981/2	0.05	2407	0.02
1982/1, 1982/2	0.01	2408	0.03
1983	0.02	2424/1, 2424/2, 2424/3	0.07
1984	0.04	2425/1, 2425/2	0.04
1985	0.07	2426/1, 2426/2	0.07
1990	0.02	2427/1, 2427/2, 2427/3	0.08
1995	0.05	2480/1, 2480/2	0.01
1996	0.10	2484	0.01
1997	0.05	2485/1, 2485/2	0.08
1998	0.02	योग (अ) . .	<u>5.93</u>
2076	0.03		
2978/1/1, 2078/1/2	0.18	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण	
2093	0.02		
2094	0.02	370	0.02
2095	0.01	2077	0.05
2097	0.02	योग (ब). .	<u>0.07</u>
2098	0.01	महायोग (अ+ब)	<u>6.00</u>
2099	0.03		
2100	0.01	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर	
2116	0.04	परियोजना के अन्तर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस	
2117	0.03	पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.	
2124	0.05	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर	
2126	0.02	परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.	
2127	0.04		
2128	0.03	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
2129	0.01	बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.	
2136	0.01		
2370	0.03		
2371/1, 2371/2	0.05	कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं	
2372/1, 2372/2	0.01	पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	
2373	0.05		
2374	0.01	भोपाल, दिनांक 18 मई 2011	
2380	0.02		
2381	0.05		
2385	0.02	क्र. 1-अ-82-07-08.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का	
2386	0.07	समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित	
2387/1, 2387/2	0.01	भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक	
		प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894	

(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की संजय सागर (बाह) मध्यम परियोजना की नहर निर्माण हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—भोपाल
(ख) तहसील—बैरसिया
(ग) नगर/ग्राम—धतूरिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.466 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1)	(2)
3	0.080
4	0.080
37	0.310
38	0.130
48	0.340
90	0.240
93	0.250
94	0.420
113	0.130
114	0.240
144/1	0.070
144/2	0.210
153/2	0.030
154/2	0.025
232	0.020
242	0.040
243	0.150
244	0.250
246	0.056
647	0.020
671	0.020
679	0.155
681	0.230
689	0.970
कुल योग . .	4.466

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय (राजस्व) बैरसिया में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निकुंज कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 19 मई 2011

क्र. 258-भू-अर्जन-2011-प्र. क्र. 11-अ-82-2010-11— भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11-अ-82-2008-2009 में जारी भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 6 के तहत उद्घोषणा 1550, दिनांक 30-10-2009 द्वारा बुदासा तालाब योजना के अन्तर्गत डूब क्षेत्र हेतु ग्राम बुदासा तहसील टोकखुर्द की निजी भूमि कुल रकबा 70.40 हेक्टर का प्रकाशन किया गया था. भौतिक सत्यापन पश्चात जिन सर्वे नम्बरों के रकबे में अंतर आया है उसका वर्णन नीचे दर्शाई गई तालिका में किया गया है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत संशोधित घोषणा का प्रकाशन किया जाता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—देवास
(ख) तहसील—टोकखुर्द
(ग) नगर/ग्राम—बुदासा
(घ) क्षेत्रफल—02.57 हेक्टर.

सर्वे नंबर	डूब का पूर्व प्रकाशित रकबा (हे. में)	डूब का संशोधित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
113	2.36	0.26
116	0.26	0.25
588/1	0.50	0.06
589/1	0.06	0.50
588/2	0.32	0.06
589/2	0.06	0.32
588/3	0.50	0.06
589/3	0.06	0.50
588/4	0.50	0.06
589/4	0.06	0.50
महायोग . .	4.68	2.57

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बुदासा तालाब के डूब क्षेत्र नहर से प्रभावित होने से.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी सोनकच्छ एवं कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग देवास के कार्यालय में देखा जा सकता है

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पुष्पलतासिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.